[2021] 4 एस. सी. आर. 862

प्रकाश गुप्ता

वी.

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 569)

23 जुलाई, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़

और एम. आर. शाह, जे. जे.]

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992:

तथ्यों पर,

एसएस। 24 और 24 ए-के तहत अपराध का चक्रवृद्धि

अपीलार्थी के खिलाफ आरोप-मूल्य में धांधली और कंपनी के खाते में आंतरिक व्यापार करने वाली कंपनी के निदेशक-का अभियोजन अपीलार्थी यू/एस। 24 (1) - अपीलार्थी ने यू/एस के तहत अपराध के चक्रवृद्धि की मांग की। 24 ए-ट्रायल जज द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एस. ई. बी. आई.) की इस आपत्ति को बरकरार रखते हुए कि अपराध को उसकी सहमति के बिना चक्रवृद्धि नहीं किया जा सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए कि मुकदमा अंतिम दलीलों के चरण में पहुंच गया है और चक्रवृद्धि के लिए आवेदन को एस. ई. बी. आई. की सहमति के बिना अनुमति नहीं दी जा सकती है-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: अपराधों को यू/एस के तहत चक्रवृद्धि करने की शक्ति। 24 ए विशेष रूप से प्रतिभूतियों के साथ रहता है

अपीलीय न्यायाधिकरण-एस. ए. टी. या एक अदालत जिसके समक्ष ऐसी कार्यवाही लंबित है और अपराधों के चक्रवृद्धि के लिए एस. ई. बी. आई. की सहमति अनिवार्य नहीं है-हालांकि, एस. ए. टी. या संबंधित अदालतों को चक्रवृद्धि से संबंधित मामलों पर एस. ई. बी. आई. के विचार की तलाश करनी चाहिए और उन पर विचार करना चाहिए।

अपराधों के मामले-आरोपों में गंभीर कार्य शामिल हैं जो निवेशकों की सुरक्षा और प्रतिभूतियों के बाजार की स्थिरता को बाधित करते हैं-इस प्रकार, एस. ई. बी. आई. ने अपराधों के चक्रवृद्धि के अनुरोध का विरोध करना उचित ठहराया-एस. ई. बी. आई. द्वारा लिया गया निर्णय दुर्भावनापूर्ण नहीं है और न ही यह स्पष्ट मनमानेपन से ग्रस्त है-इस प्रकार, एस. ई. बी. आई. के लिए एक आदेश

चक्रवृद्धि की आवश्यकता नहीं है-उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा जाता है।

अधिनियमन के उद्देश्य और कारण-आयोजित: प्रदान करने के लिए है

प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूतियों के विकास और विनियमन को बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड की स्थापना प्रतिभूति बाजार।

एस. 24 ए-के अवयव-समझाया गया।

- के अधीन अपराध का चक्रवृद्धि: एस. 24 ए.

एस. 24 ए.

चक्रवृद्धि अपराधों की शक्तियों के साथ निहित अधिकारियों को निर्दिष्ट करता है

एस. ई. बी. आई. अधिनियम के तहत। 24 ए, एक गैर-बाधा प्रावधान को शामिल करके इस आशय के विधायी इरादे को इंगित करता है कि एस. ई. बी. आई. अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों को चक्रवृद्धि करने की शक्ति एस के प्रावधानों द्वारा कुचली नहीं जाती है। 320 सी. आर. पी. सी.-पावर टू कंपाउंड

यू/एस। 24 ए, एस. ई. बी. आई. अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों तक सीमित है-शक्ति पूरी तरह से एस. ए. टी. या न्यायालय को सौंपी गई है, जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है-इसलिए, एस. 24 ए को इसका प्राकृतिक अर्थ और प्रभाव दिया जाना चाहिए।

या वह न्यायालय जिसके समक्ष ऐसी कार्यवाहियां किसी अपराध का चक्रवृद्धि करने के लिए लंबित हैं-जहां संसद का इरादा है कि एस. ई. बी. आई. की सिफारिश आवश्यक है, उसने विशिष्ट प्रावधान किए हैं। उस संबंध में उसी कानून में, जैसा कि एस में है। 24 बी-धारा 24 ए एस. ए. टी. के समक्ष एस. ई. बी. आई. की सहमति के संबंध में स्पष्ट रूप से मौन है या, जैसा भी मामला हो, वह न्यायालय जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है, शक्ति का प्रयोग कर सकता है-इसलिए, यह स्पष्ट है कि एस. ए. टी. या उस न्यायालय के समक्ष एस. ई. बी. आई. की सहमति अनिवार्य नहीं हो सकती है जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है, ताकि यू/एस. को चक्रवृद्धि करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सके। 24 ए.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की शक्तियाँ और कार्यः एस. ई. बी. आई. को एक नियामक, न्यायनिर्णायक और अभियोजन एजेंसी के रूप में भूमिका दी गई है-इस प्रकार, एस. ई. बी. आई. अधिनियम और

कानून के तहत बनाए गए या जारी किए गए नियम, विनियम और परिपत्र, व्यवस्था को लागू करने के लिए एक ठोस उद्देश्य के साथ लगातार विकसित हो रहे हैं।

प्रतिभूति बाजार और निवेशक धन की रक्षा करते हुए इसके स्वस्थ विकास को बढ़ावा देना-एस. ए. टी. और न्यायालय की शक्तियों को अनिवार्य रूप से एस. ई. बी. आई. के व्यापक अस्तित्वगत उद्देश्य के साथ संरेखित करना होगा-इस प्रकार, एस. ई. बी. आई. अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप। 24 क की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो एस. ई. बी. आई. की वैधानिक भूमिका को आगे बढ़ाती है, न कि जो इसकी कार्रवाई के सुविचारित पाठ्यक्रम को विफल करती है-इसलिए, इस बात पर निर्णय लेने से पहले कि क्या दंडनीय अपराध का चक्रवृद्धि किया जाए। 24 (1) , एस. ए. टी. या न्यायालय को मार्गदर्शन देने के लिए एस. ई. बी. आई. के विचार प्राप्त करने चाहिए।

अपने अंतिम निर्णय के लिए-ये विचार, जब तक कि स्पष्ट रूप से मनमाना या

दुर्भावनापूर्ण रूप से, उच्च स्तर का सम्मान दिया जाना चाहिए-न्यायालय को एस. ई. बी. आई. की विशेषज्ञ राय को खारिज करते हुए अपराध की गंभीरता या बाजारों पर प्रभाव पर अपने विवेक को प्रतिस्थापित करने से सावधान रहना चाहिए।

21] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. 24 ए-प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण-एसएटी या ऐसे न्यायालयों के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत अपराध का चक्रवृद्धि अपराध यू/एस। 24 ए-उच्च शक्ति प्राप्त सलाहकार समिति-एच. पी. ए. सी., और एस. ए. टी. या अदालत की राय को सम्मान देने के लिए एस. ई. बी. आई. के परिपत्र दिनांक 20.04.2007 के कारकों पर विचार करना; यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रदान किए गए कारण दुर्भावनापूर्ण या स्पष्ट रूप से मनमाने हों;

वह अनुप्रयोग यू/एस। 24 ए यू/एस को रद्द करने के लिए नहीं है। 482 सी. आर. पी. सी.; और यह विचार करने के लिए कि क्या अपराध निजी है या सार्वजनिक प्रकृति का है और

गैर-अभियोजन।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: एस. 320 - अपराधों का संयोजन-एस अंतर्निहित सिद्धांत। 320 - बताया गया-एस। 320 केवल आई. पी. सी. के तहत अपराधों के चक्रवृद्धि का प्रावधान है-इसलिए, आई. पी. सी. से बाहर के अपराधों के संबंध में, चक्रवृद्धि की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब अपराध पैदा करने वाले क़ानून में ऐसे अपराध से पहले चक्रवृद्धि के लिए एक स्पष्ट प्रावधान हो।

कम्पाउंडेबल बनाया गया-कम्पाउंडिंग की शक्ति, उस क़ानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान की जानी चाहिए जो अपराध पैदा करता है।

आपराधिक कानून: अपराधों का संयोजन-न्यायिक

के लिए आधार-चर्चा की। शब्द और वाक्यांश - अभिव्यक्ति "चक्रवृद्धि अपराध"-की परिभाषा।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 प्रतिभूति और विनिमय की धारा 24 ए

भारतीय बोर्ड अधिनियम, 1992, जो कुछ अपराधों के चक्रवृद्धि का प्रावधान करता है, में कुछ विशिष्ट विशेषताएं शामिल हैं: पहला, धारा 24 ए एक गैर-बाध्यकारी खंड के साथ शुरू होती है, "दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कुछ भी निहित होने के बावजूद"; दूसरा, एस. ई. बी. आई. अधिनियम के तहत दंडनीय कोई भी अपराध हो सकता है -

चक्रवृद्धि, बशर्ते कि यह कोई अपराध न हो जो केवल कारावास या कारावास और जुर्माने से दंडनीय हो। इसलिए, केवल जहां जुर्माना कारावास का विकल्प है, वह करता है

प्रावधान लागू होता है; तीसरा, अपराध को किसी भी कार्यवाही की स्थापना से पहले या बाद में चक्रवृद्धि की जा सकती है; और चौथा, अपराध को एस. ए. टी. या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा

चक्रवृद्धि की जा सकती है, जिसके समक्ष ऐसी कार्यवाही लंबित है। [पैरा 36] [894-डी-एफ] प्रकाश गुप्ता बनाम।

कारावास की एक निश्चित अवधि या जुर्माने के साथ या दोनों के साथ निर्धारित किया गया है (कारावास की अवधि और जुर्माने की मात्रा बढ़ा दी गई है)। क्या धारा 24 की उप-धारा (2) के तहत कोई अपराध धारा 24ए के तहत शमनीय है, यह उस निर्माण पर निर्भर करता है जिसे "या जुर्माने के साथ" शब्दों पर रखा जाना है। इन शब्दों को एक विकल्प के रूप में समझना एक विकल्प होगा। पूर्ववर्ती सभी शब्दों के लिए जो तुरंत दिखाई देते हैं

अर्थात् उससे पहले वह कारावास से दंडनीय होगा।

अवधि जो एक महीने से कम नहीं होगी लेकिन जो दस साल तक बढ़ सकती है। दूसरा विकल्प यह है कि "या जुर्माने के साथ" शब्द न्यूनतम एक महीने से ऊपर लगाए गए किसी भी सजा के विकल्प हैं। प्रथम दृष्टया, यह प्रतीत होता है कि धारा 24 की उप धारा (2) के तहत अपराधों के लिए, एक महीने से कम की अवधि के लिए कारावास निर्धारित करना अनिवार्य है। जबकि कारावास दस साल तक बढ़ सकता है, एक महीने से अधिक की किसी भी अवधि के लिए 25 करोड़ रुपये तक का जुर्माना एक वैकल्पिक या संचयी है। [पैरा 37] [894-एफ-एच; 895-ए-बी]

2.1 धारा 24ए में किसी भी कार्यवाही की स्थापना से पहले या बाद में अपराध के चक्रवृद्धि का प्रावधान है। तब से

धारा 24ए कार्यवाही की स्थापना से पहले चक्रवृद्धि का प्रावधान करती है, विधायिका ने निर्धारित किया है कि एस. ए. टी. के लिए एक आवेदन किया जा सकता है। हालाँकि, एक बार जब किसी न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू कर दी जाती है, जिसे जब्त कर लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह न्यायालय की अनिवार्यता होती है। अभिव्यक्ति "या एक अदालत जिसके समक्ष ऐसी कार्यवाही लंबित है" इंगित करेगी कि एक बार उसके समक्ष कार्यवाही शुरू हो जाने के बाद,

न्यायालय के पास चक्रवृद्धि अपराधों के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र है। [पैरा 38] [895-सी-ई]

2.2 20 अप्रैल 2007 के एक परिपत्र में, एस. ई. बी. आई. ने एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15टी और धारा के तहत सहमति आदेशों के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

23 डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 की धारा 24ए, डिपॉजिटरी अधिनियम की धारा 22ए और प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 23एन के तहत अपराधों के चक्रवृद्धि के लिए। इसने नोट किया कि एक अपराध के चक्रवृद्धि में "पहले से ही एस. ई. बी. आई. द्वारा दायर उचित अभियोजन मामले शामिल हो सकते हैं।

आपराधिक अदालतें "और" आपराधिक [2021] 4 एस. सी. आर. दायर करने के बाद हो सकती हैं।

एस. ई. बी. आई. द्वारा शिकायत "। अंत में, यह एक अभियुक्त व्यक्ति द्वारा चक्रवृद्धि की मांग करते समय पालन की जाने वाली प्रक्रिया को नोट करता है। एस. ई. बी. आई. ने 25 मई 2012 के एक परिपत्र के माध्यम से 20 अप्रैल 2007 के परिपत्र में संशोधन किया। जबकि परिपत्र मुख्य रूप से नए दिशानिर्देश जारी करता है सहमति आदेशों के संबंध में, यह उन अपराधों की एक सूची भी प्रदान करता है जिनका निपटान एस. ई. बी. आई. नहीं करेगा। [पारस 39,41] [895-ई-जी; 897-सी]

दिशानिर्देश-सहमति के लिए-आदेश-और-अनुरोधों पर विचार करने के लिए-अपराधों की संरचना के लिए-9254। एच. टी. एम. एल.> 20 जुलाई 2021 को पहुँचा गया; //डब्ल्यू. डब्ल्यू. सेब. गव. में / सेबी डेटा/कमोंडॉक्स/सहमति

एफएक्यूएल _ पी। पी. डी. एफ.> 20 जुलाई 2021 को पहुँचा गया; <HTTTPS: //

डब्ल्यू. डब्ल्यू. सेब. गव. में/कानूनी/परिपत्र/मई-2012/संशोधन

से-सहमति-परिपत्र-दिनांकित-20 अप्रैल

2007_22808. एच. टी. एम. एल.> 20 जुलाई 2021 को पहुँचा गया संदर्भित किया गया।

2.3 एस. ई. बी. आई. द्वारा जारी किए गए दो परिपत्रों और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का संयुक्त अध्ययन निम्नलिखित को स्पष्ट करता है: सबसे पहले, एक पक्ष मांग कर सकता है एस. ई. बी. आई. द्वारा आपराधिक शिकायत दायर किए जाने के बाद किसी भी स्तर पर धारा 24 ए के तहत चक्रवृद्धि करना; दूसरा, पक्ष को उस न्यायालय के समक्ष चक्रवृद्धि के लिए आवेदन दायर करना होगा जहां आपराधिक शिकायत लंबित है; तीसरा, चक्रवृद्धि के लिए आवेदन की एक प्रति एस. ई. बी. आई. को भी भेजी जानी चाहिए, जो इसे उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति (एच. पी. ए. सी.) के समक्ष रखेगी; और चौथा, आवेदन पर एच. पी. ए. सी. का निर्णय, चाहे वह स्वीकृति हो या आपत्ति, एस. ई. बी. आई. द्वारा उपयुक्त न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा, जिसे उचित आदेश पारित करने होंगे। इसलिए, इससे यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि धारा 24 ए के तहत चक्रवृद्धि के लिए किसी पक्ष के आवेदन पर एच. पी. ए. सी. के निर्णय को उपयुक्त न्यायालय के समक्ष रखा जाना चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रहना चाहिए। [पैरा 42] [897-ई-जी]

3.1 चक्रवृद्धि के इतिहास का पता लगाने में, इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी सामान्य कानून में देखी जा सकती है। मूल चर्चाएँ

अंग्रेजी सामान्य कानून में अपराधों के संयोजन (या संरचना) को इसके संदर्भ में एक प्रक्रियात्मक उपकरण (जैसा कि आज समझा जाता है) के रूप में नहीं बल्कि एक अपराध के रूप में देखा जाता है। ऐसे अपराध के तहत, एक अभियोजक या पीड़ित प्रकाश गुप्ता V को स्वीकार करेगा।

किसी अपराध पर मुकदमा नहीं चलाने के बदले में प्रतिफल। [पैरा 44] [898-बी-सी]

पर्सी हेनरी विनफील्ड, द प्रेजेंट लॉ ऑफ एब्यूज ऑफ लीगल प्रोसीजर (कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2013) पृष्ठ 117 पर; ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी 5 वां संस्करण, पृष्ठ 259 पर; पी रामनाथ अय्यर का एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन

3 पृष्ठ 932 पर, जिसका उल्लेख किया गया है, उसका दूसरा संस्करण, 2007 का पुनर्मुद्रण।

3.2 जबकि दंड संहिता, 1860 की धारा 212 और 214 के प्रावधानों का "अपवाद" प्रावधानों को लागू नहीं करता है।

जिन अपराधों को बढ़ाया जा सकता है, उनके लिए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि "अपवाद" केवल 1882 में एक संशोधन (1882 का अधिनियम 8) के माध्यम से पेश किया गया था। दूसरी ओर, यह 1872 में था, जब दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया गया था।

इसे पहली बार भारतीय आपराधिक कानून में एक प्रक्रियात्मक उपकरण के रूप में पेश किया गया था। जैसा कि स्पष्ट है, उपरोक्त प्रावधान में केवल यह प्रावधान किया गया था कि अपराधों का चक्रवृद्धि न्यायालय से बाहर या न्यायालय में इसके साथ संभव था अनुमति ली। हालाँकि, यह उन अपराधों का उल्लेख करता है जो "कानूनी रूप से चक्रवृद्धि" हो सकते हैं, उन पर निर्णय न्यायिक पर छोड़ दिया गया था

विवेकपूर्ण। जब 1882 में दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया गया था, तो इसने उन अपराधों की एक सूची तैयार की जिन्हें अदालतों द्वारा धारा 345 में जोड़ा जा सकता है। इस सूची का विस्तार तब किया गया जब 1898 में दंड प्रक्रिया संहिता में फिर से संशोधन किया गया। अंत में, अपने वर्तमान रूप में, अपराधों का चक्रवृद्धि है

पक्षकारों द्वारा चक्रवृद्धि की जा सकती है लेकिन जिसके लिए न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता होती है; और ऐसे अपराध जो नहीं हो सकते हैं बिल्कुल मिश्रित। [पैरा 50] [902-सी-ई]

3.4 सी. आर. पी. सी. की धारा 320 की उप-धारा (1) में कहा गया है कि आई. पी. सी. की धाराओं के तहत दंडनीय अपराध

संलग्न तालिका के पहले दो स्तंभों को उस तालिका के तीसरे स्तंभ में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा यौगिक किया जा सकता है, बिना

न्यायालय की अनुमति। मोटे तौर पर, धारा 320 की उप-धारा (1) द्वारा कवर किए गए अपराध अपेक्षाकृत मामूली प्रकृति के हैं जो [2021] 4 एस. सी. आर. को प्रभावित किए बिना किसी व्यक्ति के खिलाफ निर्देशित हैं।

व्यापक रूप से समाज। इन अपराधों के लिए अधिकतम सजा पांच से सात साल के कारावास तक हो सकती है। लगभग सभी अपराध जमानती हैं और कई संज्ञेय नहीं हैं। धारा 320 की उप-धारा (2) उन अपराधों के लिए प्रावधान करती है जहां समझौता किया जाता है। न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता होती है जिसके समक्ष अपराध के लिए अभियोजन लंबित है। धारा 320 की उप-धारा (2) द्वारा शासित अपराधों के संबंध में न्यायालय की अनुमति के लिए एक प्रावधान पेश किया गया है क्योंकि विधायिका ने उन अपराधों को धारा 320 की उप-धारा (1) द्वारा शासित अपराधों की तुलना में अधिक गंभीर प्रकृति का माना है। धारा 320 की उप-धारा (3) में प्रावधान है कि जहां कोई अपराध प्रावधान के तहत शमनीय है, ऐसे अपराध के लिए उकसाना या ऐसा अपराध करने का प्रयास या जहां आरोपी आईपीसी की धारा 34 या धारा 149 के तहत उत्तरदायी है, वहां भी इसी तरह से चक्रवृद्धि की जा सकती है। उप-धारा (4ए) में यह प्रावधान है कि वह व्यक्ति जो अन्यथा अपराध को बढ़ाने के लिए सक्षम होगा।

प्रावधान के तहत 18 वर्ष से कम आयु का है या "मूर्ख या पागल है" उनकी ओर से अनुबंध करने के लिए सक्षम व्यक्ति, अदालत की अनुमति से, अपराध को बढ़ा सकता है। इसी तरह, उप-धारा 4 (बी) के तहत, जहां वह व्यक्ति जो अन्यथा प्रावधान के तहत अपराध को बढ़ाने के लिए सक्षम होगा,

मृत, उनके कानूनी प्रतिनिधि के कोड के तहत परिभाषित के रूप में

सिविल प्रक्रिया, 1908, न्यायालय की सहमति से, अपराध को बढ़ा सकता है। उप-धारा (5) में प्रावधान है कि जहां आरोपी को मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किया गया है या जब आरोपी को दोषी ठहराया गया है और अपील लंबित है, तो कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

जिस न्यायालय में अभियुक्त प्रतिबद्ध है या जिस न्यायालय के समक्ष अपील की सुनवाई की जानी है, उसकी अनुमति के बिना अनुमति दी जाएगी। उप-धारा (6) के तहत, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को किसी व्यक्ति को अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपराध को चक्रवृद्धि करने की अनुमति देने का अधिकार है, जिसे ऐसा व्यक्ति अन्यथा प्रावधान के तहत चक्रवृद्धि करने के लिए सक्षम है। उप.

इस प्रावधान के तहत चक्रवृद्धि का वही प्रभाव होगा जो अभियुक्त को बरी करने का होता है। अंत में, उप-धारा (9) में प्रावधान किया गया है कि किसी भी अपराध को संघ द्वारा प्रदान किए गए प्रावधान के अलावा चक्रवृद्धि नहीं किया जाएगा। प्रावधान। [पारस 51-53] [902-ई-एच; 903-ए-जी] प्रकाश गुप्ता बनाम।

सुरक्षा और विनिमय बोर्ड

भारत का

3.5 यह स्पष्ट है कि विधायी मंजूरी के लिए

अपराधों का चक्रवृद्धि दो विपरीत सिद्धांतों पर आधारित है: सबसे पहले, कि निजी पक्षों को किसी विवाद को निपटाने की अनुमति दी जानी चाहिए

उनके बीच किसी भी स्तर पर (अपराध के आधार पर, न्यायालय की अनुमति के साथ या उसके बिना), यहां तक कि आपराधिक प्रकृति के, यदि पीड़ित पक्ष को उचित प्रतिपूर्ति की गई है; और दूसरा, यह, हालांकि, उन स्थितियों तक विस्तारित नहीं होना चाहिए जहां किया गया अपराध सार्वजनिक प्रकृति का है, भले ही उसने पीड़ित पक्ष को सीधे प्रभावित किया हो। इन सिद्धांतों में से पहला महत्वपूर्ण है ताकि अदालतों की प्रतिकूल भूमिका के बिना पक्षों के बीच विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान की अनुमति दी जा सके और अदालतों के समक्ष आने वाले मामलों के बोझ को भी कम किया जा सके। हालाँकि, दूसरा सिद्धांत भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी निजी पक्ष के खिलाफ किया गया अपराध भी बड़े पैमाने पर समाज के ताने-बाने को प्रभावित कर सकता है। ऐसे अपराध का अभियोजन न होने से आचरण की वे सीमाएँ प्रभावित हो सकती हैं जो समाज में स्वीकार्य हैं। न्यायालय इन सीमाओं को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

न्यायनिर्णयन और इन सीमाओं से कितनी दूर अपराध किया गया था, उसके अनुपात में सजा निर्धारित करके। इस प्रकार, किसी अपराध को चक्रवृद्धि करने के बारे में निर्णय लेने में, एक न्यायालय को न केवल अपने समक्ष पक्षकारों पर इसके प्रभाव को समझना होगा, बल्कि जनता पर इसके प्रभाव पर भी विचार करना होगा। इसलिए,

अपराध के अभियोजन में सामाजिक हित जो व्यापक है सामाजिक आयाम को ध्यान में रखा जाना चाहिए। [पैरा 59] [906-ए-ई]

विश्वबाहन दास बनाम गोपन चंद्र हजारिका एयर

1967 एससी 895: 1967 एस. सी. आर. 447; शीओनानंदन पासवान बनाम बिहार राज्य (1987) 1 एस. सी. सी. 288: [1987] 1 एससीआर 702 -

संदर्भित किया गया। कीर बनाम एफ. लीमैन और पियर्सन (1844) 6 क्वींस बेंच रिपोर्ट 308; लोक अभियोजक बनाम नॉर्जियन बिन बिनतात [1995] एसजीएचसी 207-संदर्भित।

रयान डेविड लिम और सेलेन याप की रचना: कानूनी

और सैद्धांतिक आधार (2015) 27 एसएसीएलजे 462 - संदर्भित किया गया।

< HTTPS: //भारत का विधि आयोग। ठीक है। में/रिपोर्ट/रिपोर्ट 237। पीडीएफ>

20 जुलाई 2021 को पहुँचा गया · संदर्भित।

3.6 धारा 320 केवल आई. पी. सी. के तहत अपराधों के चक्रवृद्धि का प्रावधान करती है। इसलिए, आई. पी. सी. से बाहर के अपराधों के संबंध में, चक्रवृद्धि की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब अपराध पैदा करने वाले क़ानून में इसके लिए एक स्पष्ट प्रावधान हो। इस तरह के अपराध से पहले चक्रवृद्धि को शमनीय बनाया जा सकता है। चक्रवृद्धि की शक्ति, उस क़ानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान की जानी चाहिए जो अपराध पैदा करता है। [पैरा 62] [907-सी-डी]

4.1 एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 24 ए एक अबाधित प्रावधान के साथ शुरू होती है जो किसी भी चीज के बावजूद काम करता है।

सीआरपीसी में निहित। उप-आई. पी. सी. की धारा 320 की धारा (1) और (2) आई. पी. सी. के तहत अपराधों के संयोजन से संबंधित है।

जबकि उप-धारा (9) में कहा गया है कि धारा में दिए गए प्रावधान के अलावा कोई भी अपराध चक्रवृद्धि नहीं किया जाएगा। हालांकि,

धारा 320 की उप-धारा (9) में निहित शर्त का प्रभाव धारा 24 ए में निहित एक विशिष्ट गैर-बाधा प्रावधान के आधार पर अपराधों के चक्रवृद्धि के संबंध में प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसमें अपराधों द्वारा चक्रवृद्धि का प्रावधान है।

उस कानून के तहत दंडनीय। धारा 24 ए, एक अबाधित प्रावधान को शामिल करके इस प्रभाव के लिए एक विधायी इरादे को इंगित करता है कि एस. ई. बी. आई. के तहत दंडनीय अपराधों को चक्रवृद्धि करने की शक्ति अधिनियम को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के प्रावधानों द्वारा कुचला नहीं जाता है। [पैरा 80] [918-ए-डी]

4.2 एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 24 ए के अवयवों को चित्रित किया जाना चाहिए। धारा 24 ए में पाँच तत्व शामिल हैं जब यह

निर्दिष्ट करता है: जिन अपराधों को चक्रवृद्धि की जा सकती है ("इस अधिनियम में दंडनीय कोई भी अपराध"); वे अपवाद जो वैधानिक प्रावधान में बनाए गए हैं ("केवल कारावास या कारावास और जुर्माने से दंडनीय अपराध नहीं है"); वह चरण जिस पर चक्रवृद्धि हो सकती है ("किसी भी कार्यवाही की स्थापना से पहले या बाद में"); वह मंच जिसके समक्ष चक्रवृद्धि अधिनियम होता है ("प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण या वह न्यायालय जिसके समक्ष ऐसी कार्यवाही की जाती है")।

लंबित "); और एस. ए. टी. या न्यायालय को चक्रवृद्धि करने की शक्ति सौंपना। [पैरा 81] [918-डी-जी]

4.3 चक्रवृद्धि को अनन्य शक्ति का समर्पण

एस. ए. टी. या न्यायालय के लिए एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 24 ए के तहत अपराध जिनके समक्ष ऐसी कार्यवाही लंबित है, प्रकाश गुप्ता बनाम द्वारा स्पष्ट किए जाते हैं।

सुरक्षा और विनिमय बोर्ड

भारत का

"प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा यौगिक किया जाए जिसके समक्ष ऐसी कार्यवाहियाँ लंबित हों।"

इस प्रकार धारा 24 ए उन तौर-तरीकों से अलग है जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 की उप-धारा (1) और (2) में निर्धारित हैं। सी. आर. पी. सी. की धारा 320, केवल संयोजन की अनुमति देती है।

आई. पी. सी. के तहत कुछ निर्दिष्ट अपराधों का। धारा 320 में आई. पी. सी. के तहत दंडनीय अपराधों के बीच दो गुना अंतर है जिसे बढ़ाया जा सकता हैः ((i) न्यायालय की अनुमति के बिना; और (ii) न्यायालय की अनुमति के साथ। इसके विपरीत, धारा 24 ए के तहत चक्रवृद्धि की शक्ति एस. ई. बी. आई. अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों तक ही सीमित है। शक्ति पूरी तरह से एस. ए. टी. या न्यायालय को सौंपी गई है, जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है। इसलिए, धारा 24 ए में निहित गैर-अबाधित प्रावधान आवश्यक है। इसका प्राकृतिक अर्थ और प्रभाव दिया जाए। [पैरा 82] [918-जी-एच; 919-ए-सी]

4.4 धारा 24 ए की सरल भाषा में एस. ई. बी. आई. की सहमति का प्रावधान नहीं है। मुद्दा यह है कि क्या इस न्यायालय को पढ़ना चाहिए

प्रावधान में एस. ई. बी. आई. की सहमति की आवश्यकता, इस आधार पर कि यह एक आकस्मिक चूक है। हालाँकि, यह उस भाषा को लागू करके वैधानिक प्रावधान को फिर से लिखने के बराबर होगा जिसे विधायिका द्वारा नियोजित नहीं किया गया है। [पैरा 83] [919-सी-डी]

भारत संघ बनाम राजीव कुमार (2003) 6 एस. सी. सी. 516:

[2003] (1) पूरक। एस. सी. आर. 597-संदर्भित।

4.5 यह स्पष्ट है कि धारा 24 ए में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि एस. ए. टी. या उस न्यायालय के लिए एस. ई. बी. आई. की सहमति आवश्यक है जिसके समक्ष ऐसी कार्यवाहियां अपराध के चक्रवृद्धि के लिए लंबित हैं। जहाँ संसद का इरादा था कि एस. ई. बी. आई. की सिफारिश आवश्यक है, वहाँ उसने इस संबंध में विशिष्ट प्रावधान किए हैं -

एक ही कानून। धारा 24 बी एक उपयोगी विरोधाभास प्रदान करती है। धारा 24 बी (1) केंद्र सरकार को इस सिफारिश पर अधिकार देती है यदि यह संतुष्ट है कि कोई व्यक्ति जिसने अधिनियम या नियमों या विनियमों का उल्लंघन किया है, उसने कथित उल्लंघन के संबंध में पूर्ण और सही खुलासा किया है, तो ऐसी शर्तों के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए जो वह लागू कर सकता है। दूसरा प्रावधान स्पष्ट करता है कि एस. ई. बी. आई. की सिफारिश केंद्र सरकार पर

बाध्यकारी नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, धारा 24 बी ने शक्तियों के प्रयोग [2021] 4 एस. सी. आर. के लिए प्रावधान किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केंद्र सरकार द्वारा अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए

एस. बी. आई. की सिफारिश पर। इसके विपरीत, धारा 24 ए एस. ए. टी. के समक्ष एस. ई. बी. आई. की सहमति के संबंध में स्पष्ट रूप से मौन है या, जैसा भी मामला हो, जिस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही लंबित है, वह शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि एस. ए. टी. या उस न्यायालय के समक्ष, जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है, एस. ई. बी. आई. की सहमति अनिवार्य नहीं हो सकती है, ताकि यू/एस. को चक्रवृद्धि करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सके। 24 ए. हालाँकि, यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि एस. ई. बी. आई. अधिनियम के तहत अपराधों के मुकदमे के लिए कार्यवाही एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 26 के आधार पर एस. ई. बी. आई. द्वारा की गई शिकायत पर शुरू किया गया। इस कानून के तहत एस. ई. बी. आई. एक नियामक और अभियोजन एजेंसी है। इसलिए, जबकि वैधानिक प्रावधान धारा 24 ए के प्रावधानों के तहत वीटो की प्रकृति में एक प्राधिकरण के साथ एस. ई. बी. आई. को सौंपते नहीं हैं, इसकी भूमिका और स्थिति के महत्व को समझना भी उतना ही आवश्यक है। [पारस 84,85] [920-बी-जी]

जेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम अमरलाल बनाम। जुमानी (2012) 3 एस. सी. सी. 255 [2012] 3 एस. सी. आर. 114; वी. एल. एस. फाइनेंस लिमिटेड बनाम भारत संघ (2013) 6 एस. सी. सी. 278 [2013] 8 एस. सी. आर. 849; दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल 2010 5 एस. सी. सी. 663: [2010] 5 एस. सी. आर. 678; मीटर एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्रा. लिमिटेड बनाम कंचन मेहता (2018) 1 एस. सी. सी. 560: [2017] 10 एस. सी. आर. 66; एन. एच. प्रतिभूति लिमिटेड बनाम प्रतिभूति और विनिमय

भारतीय बोर्ड 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 4040; पुनः: धारा 136 के तहत मामलों की त्वरित सुनवाई

परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 सुओ मोटो रिट

2020 की याचिका (सी. आर. एल.) संख्या 2-निर्दिष्ट।

5.1 एस. ई. बी. आई. अधिनियम के प्रावधान उस भूमिका के महत्व को इंगित करेंगे जिसे इसके रूप में निर्धारित किया गया है - नियामक, न्यायनिर्णायक और अभियोजन अभिकरण। निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए एक व्यवस्थित और स्थिर प्रतिभूतियों के बाजार को बनाए रखने के संदर्भ में एस. ई. बी. आई. के पास महत्वपूर्ण कार्य हैं। एस. ई. बी. आई. की स्थापना 1988 में एक सरकारी प्रस्ताव द्वारा की गई थी, ताकि पूंजी बाजारों के तेजी से विकास का तत्काल जवाब दिया जा सके। इसलिए, एस. ई. बी. आई. अधिनियम और कानून के तहत बनाए गए या जारी किए गए नियम, विनियम और परिपत्र, प्रतिभूति बाजार में व्यवस्था को लागू करने और निवेशक धन की रक्षा करते हुए इसके स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने के एक ठोस उद्देश्य के साथ लगातार विकसित हो रहे हैं। [पारस 86-87] [920-जी-एच; 921-ए; 924-ई-एफ] प्रकाश गुप्ता बनाम।

सुरक्षा और विनिमय बोर्ड

भारत का

सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एस. ई. बी. आई. (2013) 1 एससीसी 1: [2012] (12) एस. सी. आर. 1; बी एस ई ब्रोकर '

फोरम बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(2001) 3 एस. सी. सी. 482-संदर्भित।

एस. ई. बी. आई. के कार्यों पर इसका अपना विवेक है। इसकी व्यापक नियामक और न्यायिक शक्तियां, इसकी विशेषज्ञता और सूचना एकत्र करने के तंत्र के साथ मिलकर, इसके निर्णयों को कुछ हद तक प्रभावित करती हैं। विश्वसनीयता। एस. ए. टी. और न्यायालय की शक्तियों को अनिवार्य रूप से एस. ई. बी. आई. के व्यापक अस्तित्वगत उद्देश्य के साथ संरेखित करना होगा। इसलिए, एस. ई. बी. आई. अधिनियम के उद्देश्य और पूर्ववर्ती के अनुरूप, एस. की व्याख्या करना कार्य होगा। 24 ए इस तरह से जो एस. ई. बी. आई. की वैधानिक भूमिका को आगे बढ़ाता है, न कि जो इसकी कार्रवाई को विफल करता है। [पैरा 88] [926-ए-बी; 927-डी]

5.3 धारा 24 (1) के उल्लंघन (या प्रयास या उकसाने) के लिए दंडनीय सभी अपराधों के लिए एक सर्वव्यापी प्रावधान है।

अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के प्रावधान। 29 अक्टूबर 2002 से लागू होने वाले 2002 के संशोधन अधिनियम 59 से पहले, अपराधों के लिए सजा को एक साल के कारावास या जुर्माने या दोनों के तहत बढ़ाया गया था। धारा 24 (1)। 2002 के संशोधित कानून द्वारा कारावास की अवधि को दस साल तक बढ़ा दिया गया है और बीस-पाँच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस संशोधन के लिए तर्क, जैसा कि इसके उद्देश्यों और कारणों के कथन से स्पष्ट होता है, एक प्रदान करना था

संभावित गलत करने वालों के लिए प्रभावी निवारक। धारा 24 की उप-धारा (1) के तहत दंडनीय अपराधों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

शिरापरक से लेकर गंभीर तक का उल्लंघन। किसी भी कार्यवाही की स्थापना से पहले या बाद में अपराधों को चक्रवृद्धि करने की शक्ति एस. ए. टी. या उस न्यायालय को सौंपी जाती है जिसके समक्ष ऐसी कार्यवाही लंबित है। धारा 24 ए के प्रावधानों को उद्देश्य और उद्देश्य के अनुरूप तरीके से पढ़ा जाना चाहिए।

एक विशेषज्ञ नियामक के रूप में एस. ई. बी. आई. की स्थिति। नियामक के रूप में, एस. ई. बी. आई. को विभिन्न भूमिकाओं और कार्यों को सौंपा गया है, जिसमें प्रतिभूतियों के बाजार को विनियमित करने की शक्ति शामिल है।

विनियम और अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना। इसके कार्यों को वैधानिक प्रावधानों के एक समूह में मान्यता दी गई है।

अभियोजन शुरू करने से स्वतंत्र, SEBI को [2021] 4 एस. सी. आर. सौंपा गया है।

शक्ति सहित व्यापक शक्तियों और कार्यों के साथ

जाँच करना, निर्देश जारी करना और जुर्माना लगाना और संघर्ष विराम के आदेश देना। [पैरा 89] [927-ई-एच; 928-ए-बी]

एस. ई. बी. आई बनाम किशोर आर. अजमेरा (2016) 6 एस. सी. सी. 368: [2016] 1 एस. सी. आर. 1118; भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम अजय अग्रवाल (2010) 3 एस. सी. सी. 765 [2010] 3 एस. सी. आर. 70; जी. एल. सुल्तानिया बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

को। 5.4 जबकि क़ानून ने शक्तियाँ सौंपी हैं

धारा 24 ए के अनुसार, इसके विचारों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। एस. ई. बी. आई. का दृष्टिकोण, एस. ई. बी. आई. के 20 तारीख के परिपत्र के साथ एफ. ए. क्यू. में परिकल्पित है। अप्रैल 2007, निस्संदेह एस. ए. टी. या न्यायालय द्वारा यह तय करने के लिए माँगा जाना चाहिए कि किसी अपराध को चक्रवृद्धि किया जाना चाहिए या नहीं। एस. ई. बी. आई. अपराध की प्रकृति और गंभीरता और निवेशकों की सुरक्षा पर इसके प्रभाव पर एक विशेषज्ञ दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है और

प्रतिभूतियों के बाजार की स्थिरता। इन विचारों और

अन्य जो एस. ए. टी. या न्यायालय के समक्ष एस. ई. बी. आई. रख सकता है, यह निर्धारित करने में प्रासंगिक होगा कि क्या चक्रवृद्धि के लिए आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए। इसलिए, धारा 24 (1) के तहत दंडनीय अपराध का चक्रवृद्धि करना है या नहीं, इस पर निर्णय लेने से पहले, एस. ए. टी. या न्यायालय को अपने अंतिम निर्णय के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एस. ई. बी. आई. के विचार प्राप्त करने चाहिए। इन विचारों को, जब तक कि स्पष्ट रूप से मनमाना या दुर्भावनापूर्ण न हो, उच्च स्तर का सम्मान दिया जाना चाहिए। न्यायालय को इसे प्रतिस्थापित करने से सावधान रहना चाहिए

एस. ई. बी. आई. की विशेषज्ञ राय को खारिज करते हुए अपराध की गंभीरता या बाजारों पर प्रभाव पर अपना विवेक रखें। [पैरा 90] [928-बी-ई] प्रकाश गुप्ता बनाम।

5.5 यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एस. ई. बी. आई. अधिनियम की विधायी योजना कई कार्यों को चित्रित करती है जो इसके लिए उत्तरदायी हैं।

अभियुक्त पर जिन अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है, उनकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, यह देखते हुए कि विधायी योजना व्यक्तिगत रूप से अलग सजा के प्रावधानों को निर्धारित नहीं करती है जो अन्यथा अपराधों की गंभीरता और श्रेणीकरण के बारे में एक अंतर्दृष्टि प्रदान की जाती। इसलिए, इस पर SEBI का दृष्टिकोण

इस दृष्टि से संयोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। [पैरा 91] [928-एफ-एच; 929-ए]

6. धारा 24 ए केवल एस. ए. टी. या उस न्यायालय को प्रदान करती है जिसके समक्ष कार्यवाहियां लंबित हैं और उनके पास इस मामले को बढ़ाने की शक्ति है।

अपराध, बिना कोई दिशानिर्देश दिए कि यह कब होना चाहिए। इसलिए, कुछ दिशानिर्देशों को स्पष्ट करना आवश्यक है जिन्हें एस. ए. टी. या ऐसे न्यायालयों को धारा 24 ए के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखना चाहिए:

(i) उन्हें 20 अप्रैल 2007 के एस. ई. बी. आई. के परिपत्र में उल्लिखित कारकों और साथ में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर विचार करना चाहिए। यह तय करते समय कि सहमति आदेश के लिए आवेदन की अनुमति दी जाए या चक्रवृद्धि के लिए आवेदन। ये कारक पूर्ण नहीं हैं।

(ii) 20 अप्रैल 2007 के परिपत्र और उसके साथ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुसार, एक आरोपी ने अपनी याचिका दायर करते समय

चक्रवृद्धि के लिए आवेदन को भी एक प्रति जमा करनी होगी

एस. ई. बी. आई., इसलिए इसे एच. पी. ए. सी. के समक्ष रखा जा सकता है। द.

एच. पी. ए. सी. की सिफारिश तब एस. ए. टी. या न्यायालय के समक्ष दायर की जाती है, जैसा भी मामला हो। इस प्रकार, एस. ए. टी. या न्यायालय को इस तरह की राय को उचित सम्मान देना चाहिए। एच. पी. ए. सी. और एस. ई. बी. आई. की राय बाजार संरचनाओं की रखरखाव क्षमता पर गैर-अभियोजन के प्रभाव पर उनकी स्थिति को इंगित करती है।

इसलिए, एस. ए. टी. या न्यायालय के पास [2021] 4 एस. सी. आर. के लिए ठोस कारण होने चाहिए।

प्रदान की गई राय से अलग है और ऐसा केवल तभी करना चाहिए जब वह मानता है कि एस. ई. बी. आई./एच. पी. ए. सी. द्वारा प्रदान किए गए कारण दुर्भावनापूर्ण या स्पष्ट रूप से मनमाने हैं।

(iii) एस. ए. टी. या न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धारा 24 ए के तहत कार्यवाही रद्द करने की कार्यवाही को प्रतिबिंबित नहीं करती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक शिकायत, जिससे आरोपी को एक अवसर प्रदान होता है। चक्रवृद्धि के पीछे का सिद्धांत यह है कि पीड़ित पक्ष को अभियुक्त द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है और वह विवाद को समाप्त करने के लिए सहमति देता है। चूँकि पीड़ित पक्ष एस. ए. टी. या न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है और अधिकांश अपराध सार्वजनिक चरित्र के होते हैं, इसलिए उसे अपनी भूमिका में सावधानी बरतनी चाहिए। की व्यापकता में

उदाहरण के लिए, इसे एस. ई. बी. आई. की राय पर भरोसा करना चाहिए कि क्या इस तरह की बहाली हुई है। ((iv) अंत में, एस. ए. टी. या न्यायालय को विचार करना चाहिए कि क्या

प्रस्तुत करने वाले पक्ष द्वारा किया गया अपराध

अन्य बड़े पैमाने पर। इस प्रकार, बाद वाला नहीं होना चाहिए यौगिक, भले ही पुनर्स्थापन हुआ हो।

[पैरा 92] [929-बी-डी; 930-ई-एच; 931-ए-डी]

7. तत्काल मामले में, उनके खिलाफ आरोपों की प्रकृति

अपीलार्थी ऐसे हैं जिससे अपराधों को चक्रवृद्धि करने के निर्णय को रोका जा सके। उन्हें काफी विस्तार से उन परिस्थितियों के बारे में बताया गया है जो एस. ई. बी. आई. द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में बताई गई हैं। प्रस्तुतियों में योग्यता है कि वर्तमान मामले में आरोपों में गंभीर कार्य शामिल हैं जो निवेशकों की सुरक्षा और प्रतिभूतियों के बाजार की स्थिरता को बाधित करते हैं। 22 सितंबर 2000 को एस. ई. बी. आई. के अध्यक्ष के निर्णय आदेश में कहा गया है कि प्रवर्तकों द्वारा शेयर खरीदने के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के परिणामस्वरूप निवेशकों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। 12 रुपये प्रति शेयर की दर, कथित गलत काम करने के तत्व को समाप्त नहीं करेगी। मूल्य में धांधली और शेयरों की कीमतों में हेरफेर के इस तरह के कथित कृत्यों का निवेशकों की संपत्ति और प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित कामकाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसलिए, अपराधों के चक्रवृद्धि के अनुरोध का विरोध करने में एस. ई. बी. आई. को उचित ठहराया गया। यह मामला एच. पी. ए. सी. द्वारा गठित प्रकाश गुप्ता बनाम को भेजा गया था।

सुरक्षा और विनिमय बोर्ड

भारत का

एस. ई. बी. आई. द्वारा और बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में, जिसने चक्रवृद्धि के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। एस. ई. बी. आई. द्वारा लिया गया यह निर्णय दुर्भावनापूर्ण नहीं है और न ही यह स्पष्ट मनमानेपन से ग्रस्त है। इसके विपरीत, देय होने पर

आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, समझौता करने का आदेश आवश्यक नहीं था। उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा जाता है। [पारस 93-94] [931-D-H; 932-A-B]

मामला कानून संदर्भ

[2012] 3 एससीआर 114

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

[2013] 8 एससीआर 849

पै

रा 20 (iii)

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

पै

रा 57

1967 एससीआर 447 [1987] 1 एससीआर 702

संदर्भित किया गया है

पै

रा 58

[2010] 5 एससीआर 678

संदर्भित किया गया है

पै

रा 67

[2017] 10 एससीआर 66

संदर्भित किया गया है

पै

रा 77

[2003] (1) पूरक। एससीआर 597

संदर्भित किया गया है

पै

रा 83

[2012] (12) एससीआर 1

पै

रा 86

संदर्भित किया गया है

(2001) 3 एससीसी 482

पै

रा 87

संदर्भित किया गया है

[2007] 6 एससीआर 1152

संदर्भित किया गया है

पै

रा 88

[2013] 6 एससीआर 32

संदर्भित किया गया है

पै

रा 88

[2014] 13 एससीआर 402

संदर्भित किया गया है

पै

रा 88

[2009] 6 एससीआर 798

पै

रा 88

संदर्भित किया गया है

[2016] 1 एससीआर 1118

संदर्भित किया गया है

पै

रा 88

[2010] 3 एससीआर 70

पै

रा 88

संदर्भित किया गया है

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील

2021 का सं. 569।

उच्च न्यायालय के 01.04.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

सी. आर. एल., आर. ई. वी. में नई दिल्ली में। 2018 का पी. सं. 1076।

श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता। , राजीव गर्ग, टी. एल. गर्ग, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

सी. यू. सिंह, महेश जेठमलानी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अभिषेक बैद, अनूप

जैन, प्रणीत दास, विजय अग्रवाल, संदीप कपूर, रवि शर्मा, मुदित [2021] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जैन, आशुल अग्रवाल, मृदुल यादव, आशनीत सिंह आनंद, सिद्धांत कृष्णन सिंह, मेसर्स। करंजावाला एंड कंपनी, एड. उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे. इस निर्णय को विश्लेषण की सुविधा के लिए अनुभागों में विभाजित किया गया है।

वे इस प्रकार हैं:

अपील

ए.

आई. पी. ओ, एस. ई. बी. आई. की जाँच और आपराधिक शिकायत

बी.

सी.

यौगिक के लिए आवेदन

वकीलों की दलीलें

डी.

विश्लेषण

ई. ई. 1

एस. ई. बी. आई. अधिनियम की संरचना

धारा 24 ए के संबंध में एस. ई. बी. आई. परिपत्र

ई. 2

ई. 3

'यौगिक' के लिए न्यायिक आधार

सीआरपीसी के बाहर यौगिक

ई. 5 एस. ई. बी. आई. की नियामक भूमिका

धारा 24 ए के तहत चक्रवृद्धि के लिए दिशानिर्देश

एफ.

तथ्यों और निष्कर्षों पर विश्लेषण

जी.

ए द अपील

1. अपीलार्थी पर धारा के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है।

24 (1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ("एस. ई. बी. आई. अधिनियम")। अपीलार्थी ने धारा 24 ए के तहत अपराध के चक्रवृद्धि की मांग की। 15 नवंबर 2018 के एक आदेश द्वारा, तीस हजारी अदालत, दिल्ली में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-02 केंद्रीय जिला ("ट्रायल जज") ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की इस आपत्ति को बरकरार रखते हुए आवेदन को खारिज कर दिया कि अपराध को उसकी सहमति के बिना चक्रवृद्धि नहीं किया जा सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के दिनांक 1 अप्रैल 2019 के एक निर्णय द्वारा परीक्षण न्यायाधीश के आदेश की पुनरीक्षण में पुष्टि की गई है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि मुकदमा अंतिम दलीलों के चरण में पहुंच गया है और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("एस. ई. बी. आई".) की सहमति के बिना चक्रवृद्धि के लिए आवेदन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उच्च न्यायालय के कारणों को नीचे निकाला गया है:

प्रकाश गुप्ता बनाम। भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" 6. प्रारंभिक चरण में यौगिक को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लेकिन अंतिम चरण में नहीं। एस. ई. बी. आई. अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखना होगा। प्रतिभूति बाजार की एक स्थिर और व्यवस्थित कार्यप्रणाली

सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एस. ई. बी. आई. अधिनियम की सहमति के बिना चक्रवृद्धि के लिए आवेदन की अनुमति देकर कार्यवाही के अंतिम चरण में अभियुक्त को आरोपमुक्त करना न्याय के हित में नहीं होगा।

यह SEBI अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देगा। हालांकि

न्यायनिर्णायक अधिकारी ने पाया है कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कथित उल्लंघन के परिणामस्वरूप निवेशकों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यह अपने आप में मुकदमे के अंतिम चरण में आरोपी को आरोपमुक्त करने को उचित नहीं ठहराएगा। मीटर एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार करने के बाद। लिमिटेड (सुप्रा), और एन. एच. सिक्यूरिटीज लिमिटेड (सुप्रा) में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार के साथ-साथ इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, मुझे एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 की धारा 24ए के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं मिलता है।

इनमें उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण पर सवाल उठाया गया है।

कार्यवाही।

बी. आई. पी. ओ., एस. ई. बी. आई. की जाँच और आपराधिक शिकायत

2. अपीलार्थी आइडियल होटल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("कंपनी") के नाम से एक कंपनी का निदेशक और प्रवर्तक है, जो वाराणसी में उनका एक 3 सितारा होटल है। जबकि इसे शुरू में 17 दिसंबर 1985 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था, 4 मई 1994 को कंपनी मामलों के विभाग की मंजूरी के साथ कंपनी की स्थिति को एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया गया था।

3. 1995 में, कंपनी ने 10 रुपये प्रति शेयर के बराबर मूल्य पर 38 लाख इक्विटी शेयरों की सदस्यता के लिए एक प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव ("आई. पी. ओ".) आमंत्रित किया, जो कुल मिलाकर 380 लाख रुपये था। यह प्रस्ताव 6 अक्टूबर 1995 के एक विवरण पत्रिका के अनुसार था। आई. पी. ओ. 15 नवंबर 1995 को खोला गया और 24 नवंबर 1995 को बंद किया गया। विवरण-पत्र में निर्दिष्ट किया गया है कि आई. पी. ओ. के बाद कंपनी के प्रवर्तकों की हिस्सेदारी 22 लाख शेयर थी।

यह 67 लाख शेयरों की चुकता पूंजी के प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें अपीलार्थी की हिस्सेदारी 1,400 शेयर है जो चुकता पूंजी का 0.02 प्रतिशत है। कंपनी दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और चेन्नई के स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हो गई, जिसमें यूपी स्टॉक एक्सचेंज मूल एक्सचेंज था।

21] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. 27 जून 1996 को, एस. ई. बी. आई. को श्री विजय मिगलानी से एक शिकायत मिली जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिल्ली/बॉम्बे के कुछ दलालों ने कंपनी के निर्देश पर इसके शेयर खरीदे थे और ग्रे मार्केट में बड़ी डिलीवरी बकाया रखी गई थी। एस. ई. बी. आई. को अक्टूबर 1996 में एक गुमनाम शिकायत भी मिली, जिसमें कंपनी के शेयरों में मूल्य में धांधली और अंदरूनी व्यापार का आरोप लगाया गया था। 1996 और 1999 के बीच प्रारंभिक जांच के बाद, SEBI ने 2 फरवरी 1999 को कंपनी के खिलाफ जांच शुरू की। 28 जनवरी 1996 और 29 फरवरी 1996 के बीच की अवधि के लिए कंपनी की जांच की गई थी। यह कंपनी के शेयरों के सूचीबद्ध होने से ठीक पहले की अवधि थी। यह शेयर 30 जनवरी 1996 को रुपये 11.25 के निचले स्तर से 13 फरवरी 1996 को रुपये 23.25 के उच्च स्तर पर चला गया। इस अवधि के दौरान कारोबार की मात्रा असामान्य रूप से अधिक थी, जिसमें कई पर 1,00,000 शेयरों का दैनिक कारोबार था।

दिन होते हैं। इसके बाद इस शेयर की कीमत में भारी गिरावट दर्ज की गई। 17 29 फरवरी 1996 को, और दैनिक कारोबार भी औसतन कुछ सौ शेयरों तक कम हो गया।

5. अपनी जांच के दौरान, एस. ई. बी. आई. ने उन शीर्ष दलालों का विवरण प्राप्त किया जिन्होंने इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरों में कारोबार किया। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और उनके उन ग्राहकों की भी जिन्होंने शेयर पर महत्वपूर्ण खरीद या बिक्री की थी। नतीजतन, एस. ई. बी. आई. ने उन छह संस्थाओं के नाम सामने लाए जिन्होंने 38 लाख इक्विटी शेयरों में से लगभग 51 प्रतिशत खरीदे थे।

28 जनवरी 1996 और 29 फरवरी 1996 के बीच की अवधि के दौरान प्रस्ताव। पाया गया कि उन्होंने उस अवधि के बाद भी शेयर खरीदना जारी रखा और अंततः 28,38,000 इक्विटी शेयर खरीदे, जो कि था कंपनी के पोस्ट इश्यू फ्लोटिंग स्टॉक का लगभग 75 प्रतिशत। इस प्रकार, यह माना गया कि ये संस्थाएं, इसलिए, शेयर में मूल्य में वृद्धि के लिए जिम्मेदार थीं।

6. जब एस. ई. बी. आई. ने इन छह संस्थाओं को समन जारी किया, तो यह अपीलकर्ता था जिसने उन्हें जवाब दिया। 7 जून 1999 को एस. ई. बी. आई. को दिए गए एक बयान में, अपीलार्थी ने स्वीकार किया कि ये संस्थाएं प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी और उसके निदेशकों से संबंधित थीं, और वह उनके दिन-प्रतिदिन के मामलों का प्रबंधन करता था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इन संस्थाओं द्वारा शेयरों की खरीद में लगभग साढ़े चार से पांच करोड़ रुपये का निवेश किया गया था।

कंपनी, जिसके लिए आई. पी. ओ. की आय से या अंतर-निगमित से कंपनी की निधि से धन उपलब्ध कराया गया था।

अपीलार्थी और आयोग के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की व्यक्तिगत मौखिक गारंटी पर संस्थाओं द्वारा बाजार से जमा की गई राशि

कंपनी (जिसे बाद में चुका दिया गया था)।

प्रकाश गुप्ता बनाम। सुरक्षा और विनिमय बोर्ड

भारत का [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़,

जे.]

7. 24 अगस्त 1999 को, एस. ई. बी. आई. द्वारा समन जारी किए गए थे

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) के विनियम 4 (ए) और 4 (ई) के संभावित उल्लंघन के संबंध में SEBI अधिनियम की धारा 11 (3) के तहत अपीलकर्ता प्रतिभूति बाजार से संबंधित) विनियम, 1995 ("1995 पी. एफ. यू. टी. पी. विनियम"); एस. ई. बी. आई. (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 1994 के विनियम 6 (1), 6 (3), 8 (1), 10 (1) और 10 (2)।

(" 1994 अधिग्रहण विनियम) और एस. ई. बी. आई. (शेयरों और अधिग्रहण का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 1997 (1997 अधिग्रहण विनियम) का विनियम 10। 18 नवंबर 1999 को, एस. ई. बी. आई. के अध्यक्ष ने उपरोक्त आरोपों पर निर्णय लेने के लिए एक न्यायनिर्णायक अधिकारी (ए. ओ.) को नियुक्त किया।

8. एओ के निर्णय से पहले, एस. ई. बी. आई. ने 29 मार्च 2000 को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आपराधिक शिकायत दर्ज की।

1995 के पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के विनियम 6 (1), 6 (3), 8 (1) के साथ पढ़े जाने पर, 10 (1) और 1994 के अधिग्रहण विनियमों के 10 (2), जो एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 24 और 27 के तहत दंडनीय हैं।

9. जबकि कार्यवाही ए. ओ. के समक्ष लंबित थी, 22 पर

सितंबर 2000 में, SEBI के अध्यक्ष ने SEBI अधिनियम की धारा 4 (iii) के साथ पठित धारा 11B के तहत एक आदेश पारित किया, जिसमें अपीलकर्ता और अन्य लोगों के कंपनी के उन शेयरधारकों के स्वामित्व वाले शेयरों को खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, जो इसके प्रवर्तक नहीं हैं। आदेश में निर्देश दिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव 12 रुपये प्रति शेयर होगा, जो कि 10 रुपये प्रति शेयर से अधिक था, जिस पर कंपनी के शेयर आई. पी. ओ. के दौरान सूचीबद्ध किए गए थे। अपीलार्थी ने कहा है कि आदेश के अनुपालन में, कंपनी के प्रवर्तकों/निदेशकों ने इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किया, जिससे कंपनी (आई. पी. ओ. के बाद) में उनकी हिस्सेदारी लगभग 95 प्रतिशत तक बढ़ गई। इसके बाद, कंपनी ने अपने शेयरों को विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों से भी हटा लिया।

10. 19 जून 2001 को, एओ ने एक आदेश पारित किया जिसमें उसने नोट किया

कि छह संस्थाओं का प्रबंधन अपीलार्थी द्वारा किया गया था, जिसे इस तथ्य से निर्धारित किया जा सकता है कि: (i) उन्हें भेजे गए समन प्राप्त हुए; (ii) उन्होंने 7 जून 1999 को अपने बयान में

स्वीकार किया था कि वह या उनके रिश्तेदार इन संस्थाओं में निदेशक थे; (iii) उन्होंने अपीलकर्ता द्वारा की गई मौखिक प्रतिबद्धता के आधार पर और कंपनी से प्राप्त धन का उपयोग करके या इंटर कॉरपोरेट के आधार पर इन शेयरों को खरीदा था।

1 2000 [2021] 4 एस. सी. आर. की शिकायत संख्या 152।

अपीलार्थी, कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की गारंटी पर प्राप्त ऋणदाता; (iv) खरीदे गए शेयर अपीलार्थी के कार्यालय में पड़े थे; और (v) इसे कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने भी अपने बयान में स्वीकार किया था।

5 जुलाई 1999 को एस. ई. बी. आई. को सूचित किया कि यह उनके साथ उचित परामर्श के बाद किया गया था।

उसे। इस प्रकार, इसने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी 1997 के अधिग्रहण विनियमों के विनियम 8 (1), 8 (2) और 10 का पालन करने में विफल रहा था और इस प्रकार उसने एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15 एच के प्रावधानों का उल्लंघन किया था।

11. एओ ने एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 11 बी के तहत एस. ई. बी. आई. के अध्यक्ष के आदेश को भी नोट किया और कहा कि:

" उस आदेश के जवाब में [एस. ई. बी. आई. के अध्यक्ष के आदेश], पत्र के माध्यम से दिनांक 25.05.2001, अधिग्रहणकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि वे पहले ही कंपनी की कुल इक्विटी शेयर पूंजी का 95 प्रतिशत हासिल कर चुके हैं। वे आइडियल होटल्स के शेयरों को सूची से हटाने की योजना बना रहे हैं।

सभी स्टॉक एक्सचेंजों के रोल से जहां स्क्रिप हैं

सूचीबद्ध किया गया "।

एओ ने आगे कहा:

" SEBI अधिनियम की धारा 11B के तहत जारी उपरोक्त आदेश के संदर्भ में, सभी निवेशकों को Rs.12/प्रति शेयर पर निकास मार्ग की पेशकश की गई थी। यह Rs.10/- के सार्वजनिक निर्गम मूल्य से अधिक था। इस प्रकार अंतिम विश्लेषण में मुझे लगता है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था।

निवेशक "।

हालांकि, ए. ओ. के अनुसार, प्रस्ताव अपीलार्थी/प्रवर्तकों द्वारा अपनी मर्जी से किया जाना चाहिए था, न कि कार्यवाही के समय।

धारा 11 बी के तहत लंबित थे। नतीजतन, एओ ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। 20,000 अपीलार्थी और दो सह-प्रवर्तकों पर। अपीलार्थी के अनुसार जुर्माना अदा किया गया था।

उसी दिन। 2006-07 में, अपीलार्थी ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर दंड संहिता की धारा 482 के तहत कार्यवाही शुरू की। शिकायत मामले और समन आदेश को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रक्रिया, 1973 ("सीआरपीसी")। धारा 482 के तहत कार्यवाही लगभग छह साल तक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रही, जब तक कि उन्हें अंततः 26 अगस्त 2013 को खारिज नहीं कर दिया गया।

प्रकाश गुप्ता बनाम। सुरक्षा और विनिमय बोर्ड

जे.]

भारत का [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़,

सी यौगिक के लिए अनुप्रयोग

13. 12 सितंबर 2013 को, अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों ने एस. ई. बी. आई. के पास एक 'सहमति आवेदन' दायर किया, जिसे वापस कर दिया गया। 27 सितम्बर 2013 में इस सूचना के साथ कि अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त व्यक्ति आपराधिक मामले में चक्रवृद्धि के लिए एक उपयुक्त आवेदन दायर कर सकते हैं।

14. 14 अक्टूबर 2013 को, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष SEBI अधिनियम की धारा 24A के तहत एक आवेदन दायर किया गया था।

तीस हजारी, दिल्ली अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा

एस. ई. बी. आई. द्वारा दायर आपराधिक शिकायत में अपराध का संयोजन क्योंकि उन्होंने पहले ही धारा 11 बी के तहत एस. ई. बी. आई. अध्यक्ष के आदेश के अनुसार जनता से शेयर खरीद लिए थे और ए. ओ. द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान कर दिया था।

15. एस. ई. बी. आई. ने बंबई उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली अपनी उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति (एच. पी. ए. सी.) के विचार जानने के लिए चक्रवृद्धि आवेदन भेजा। एच. पी. ए. सी. का गठन चक्रवृद्धि अपराधों के प्रस्तावों की जांच के लिए किया गया है। एच. पी. ए. सी. ने सिफारिश की कि अपराधों को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए।

जिसके बाद ट्रायल जज को एक सूचना दी गई और 7 मई 2016 के एक आदेश में दर्ज किया गया।

16. मध्यावधि में, आपराधिक शिकायत को शिकायतकर्ता के साक्षय को दर्ज करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन सबूत पेश किए जाने के बाद, अपीलार्थी ने गवाह से तब तक जिरह करने से इनकार कर दिया जब तक कि चक्रवृद्धि आवेदन का निर्णय नहीं हो जाता। याचिकाकर्ता ने भी दायर किया 6 नवंबर 2017 को परीक्षण न्यायाधीश के समक्ष आवेदन, यह प्रार्थना करते हुए कि चक्रवृद्धि आवेदन पर आगे के साक्षय से पहले निर्णय लिया जाए

शिकायतकर्ता को आपराधिक शिकायत में दर्ज किया गया था।

17. 15 नवंबर 2018 के एक आदेश द्वारा, ट्रायल जज ने चक्रवृद्धि आवेदन को खारिज कर दिया और आपराधिक शिकायत को इसके लिए सूचीबद्ध किया गया। अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा शिकायतकर्ता के गवाह की प्रतिपरीक्षा। विचारण न्यायाधीश ने इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखा

जेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम अमरलाल बनाम। जुमानी 2 ("जे. आई. के. इंडस्ट्रीज") ने यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि शिकायतकर्ता की सहमति के बिना अपराध के चक्रवृद्धि के लिए किसी भी आवेदन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। के आदेश को चुनौती देने के लिए अपीलार्थी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी

रियाल न्यायाधीश, जिसे, जैसा कि पहले कहा गया है, 1 अप्रैल 2019 को दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

डी वकील की प्रस्तुतियाँ

18. श्री श्याम दीवान, विद्वान वरिष्ठ वकील, जो उनकी ओर से पेश हुए

अपीलार्थी ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया है:

धारा 11 बी के तहत आदेश में एस. ई. बी. आई. के अध्यक्ष

((i)

दिनांक 22 सितंबर 2000 ने अपीलार्थी और सह-प्रवर्तकों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, कि वे

सार्वजनिक निर्गम में अलाटी/मौजूदा शेयरधारकों से कंपनी के शेष शेयर 12 रुपये प्रति शेयर की दर से

शेयर करें। इसने एक निकास विकल्प प्रदान किया है;

एओ ने अधिग्रहणकर्ताओं के प्रस्तुत करने पर ध्यान दिया कि

((ख)

उन्होंने पहले ही कंपनी की कुल इक्विटी शेयर पूंजी का 99 प्रतिशत अधिग्रहण कर लिया था और स्टॉक एक्सचेंजों के रोल से स्क्रिप डी-लिस्टेड प्राप्त करने की योजना बना रहे थे।

धारा 11 बी के तहत आदेश के संदर्भ में, सभी निवेशक

(iii)

उन्हें 12 रुपये प्रति शेयर पर निकास मार्ग की पेशकश की गई थी, जो रुपये के सार्वजनिक निर्गम मूल्य से अधिक था। 10 ; इसलिए, अंतिम विश्लेषण में एओ ने कहा कि किसी भी निवेशक को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

((iv) उच्च न्यायालय के निष्कर्ष के विपरीत, आवेदन

चक्रवृद्धि के लिए मुकदमे के अंत में दायर नहीं किया गया था, लेकिन

2013 दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका खारिज किए जाने के बाद;

(v)

प्रवर्तक, इस स्तर पर भी, तैयार और इच्छुक हैं एक और मोप-अप प्रस्ताव दें;

(vi) 22 सितंबर 2000 की धारा 11बी और 19 जून 2001 के एओ के आदेश के तहत एस. ई. बी. आई. के अध्यक्ष के आदेश से पहले 29 मार्च 2000 को आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया था कि कोई नुकसान नहीं हुआ है।

निवेशक;

(vii) एस. ई. बी. आई. अधिनियम का उद्देश्य निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिसे जुर्माना जमा करके पूरा किया गया है।

(viii) धारा 24 ए प्रतिभूतियों को पर्याप्त शक्तियां प्रदान करती है।

अपीलीय न्यायाधिकरण ("एस. ए. टी".) और न्यायालय ने कैश गुप्ता बनाम.

भारत में सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अपराध, और कानून में एस. ई. बी. आई. की सहमति का कोई प्रावधान नहीं है। यदि समग्र तथ्यों के मूल्यांकन के बाद, इसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है, तो चक्रवृद्धि की अनुमति दी जानी चाहिए।

(ix) विचारण न्यायाधीश का आदेश स्पष्ट रूप से गलत है जब यह अभिनिर्धारित करता है कि "यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि निवेशकों को विधिवत मुआवजा दिया गया है"। इसके अलावा, यह अवलोकन कि अपराध को SEBI की सहमति के बिना धारा 24A के तहत चक्रवृद्धि नहीं किया जा सकता है, इसके विपरीत है

कानून के स्पष्ट शब्द जो विचार नहीं करते हैं

एस. ई. बी. आई. की सहमति और वर्तमान मामले के तथ्यों में, के लिए आवेदन

(x)

चक्रवृद्धि की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि:

अपीलार्थी एक वरिष्ठ नागरिक है;

ए।

कंपनी को स्टॉक में सूचीबद्ध कर दिया गया है।

बी।

आदान-प्रदान; और

निवेशकों को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

सी।

19. श्री सी. यू. सिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस आधार पर प्रस्तुतियों का विरोध किया कि:

((i)

आपराधिक शिकायत जो 29 मार्च 2000 को दर्ज की गई थी

आपराधिकता के तत्व को निर्धारित करता है जिसमें शामिल हैं:

खरीद के लिए आई. पी. ओ. की आय का गलत उपयोग

ए।

छह संबंधित शेयरों के माध्यम से कंपनी के शेयर

इकाइयाँ;

उस स्क्रिप की कीमत का हेरफेर जिसमें

बी।

आई. पी. ओ हुआ;

शेयरों की कीमत में कृत्रिम वृद्धि

सी।

कंपनी ने रु। 23.5 प्रति शेयर, जो था

बाद में नीचे लाया गया;

डी।

आई. पी. ओ. को चार गुना अधिक अभिदान मिला, जो इसका मतलब है कि 75 प्रतिशत आवेदक असमर्थ थे।

कंपनी के शेयर प्राप्त करने के लिए;

((ख)

22 सितंबर को एस. ई. बी. आई. के अध्यक्ष का आदेश 2000 , वास्तव में निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचेः

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

" इन परिस्थितियों में, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आई. एच. एल. की सहयोगी संस्थाएँ केवल प्रमुख इकाइयाँ थीं।

आई. एच. एल. और इसके प्रवर्तकों और सार्वजनिक आय के सहयोगी संस्थाओं को हस्तांतरण की पूरी कवायद अपने स्वयं के शेयरों की खरीद के लिए थी। शेयरों का हस्तांतरण शेयरों की कीमत में हेरफेर करने के लिए उनकी योजना का एक हिस्सा है।

आई. एच. एल. और इसके प्रवर्तकों को भी अवसर दिया गया।

अपनी प्रस्तुतियाँ देने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई। तदनुसार, श्री एल. आर. मौर्य और श्री प्रकाश गुप्ता मेरे सामने उपस्थित हुए। उक्त व्यक्तियों ने एक पेशकश की

प्रस्ताव है कि वे सार्वजनिक निर्गम में आबंटितों/मौजूदा शेयरधारकों से कंपनी के शेष शेयरों को बारह रुपये प्रति शेयर की दर से खरीदेंगे। मैंने प्रवर्तकों के उक्त प्रस्ताव पर विचार किया है।

और मुझे लगता है कि यह आई. एच. एल. के आबंटियों/मौजूदा शेयरधारकों को बाहर निकलने का एक तरीका प्रदान करता है।

एस. ई. बी. आई. की जांच से पता चला कि कंपनी ने आई. पी. ओ. में जुटाई गई राशि का गलत इस्तेमाल किया था। अपने स्वयं के शेयरों के पीछे। सार्वजनिक निर्गम की ये निधियाँ समूह की छह संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई थीं।

शेयर खरीदने के लिए अपीलार्थी या समूह कंपनियों के प्रवर्तकों या निदेशकों द्वारा प्रबंधित कंपनियाँ। इन संस्थाओं द्वारा कंपनी के शेयरों में लेन-देन के कारण इसके शेयरों की कीमत में वृद्धि हुई। उन हकदारों द्वारा की गई खरीद भी संचयी रूप से दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में की गई लगभग पूरी खरीद थी, और

कंपनी के अस्थायी स्टॉक का एक बड़ा हिस्सा। इसलिए, इन संस्थाओं ने जनता को बताए बिना कंपनी के शेयरों में पर्याप्त हिस्सेदारी खरीदी। इसलिए, 1995 के पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों और 1994 के अधिग्रहण विनियमों का उल्लंघन किया गया था। वस्तुतः, यह आपराधिक शिकायत का आधार है।

अपीलार्थी का आचरण भी महत्वपूर्ण है: 29 मार्च 2000 को आपराधिक शिकायत दर्ज होने के बाद, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत 2006-07 में याचिकाएं दायर की गईं। वे सात साल तक लंबित रहे, जब तक कि उन्हें 26 अगस्त 2013 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज नहीं कर दिया गया।

एक बार कैश गुप्ता बनाम। भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

ट्रायल जज ने आपराधिक शिकायत का संज्ञान लिया, फिर 14 अक्टूबर 2013 को जब साक्षय दर्ज किया जा रहा था, तो परिवर्धन के लिए आवेदन देर से प्रस्तुत किया गया था।

और

इस न्यायालय के हस्तक्षेप का कोई मामला मौजूद नहीं है।

(v)

संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत।

20. श्री महेश जेठमलानी, विद्वान वरिष्ठ वकील ने कार्यवाही में हस्तक्षेप किया है और इस मुद्दे पर प्रस्तुतियों का आग्रह किया है कि क्या

एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 24 ए के तहत चक्रवृद्धि अपराधों का बकाया

एस. ई. बी. आई. की सहमति। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि:

((i)

धारा 24 ए केवल दो प्राधिकरणों को संदर्भित करता है-एसएटी और ए

न्यायालय-जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है। धारा 24 ए में एस. ई. बी. आई. का कोई संदर्भ नहीं है, और यह न्यायालय या एस. ए. टी. की अपराधों को चक्रवृद्धि करने की शक्ति की शर्त नहीं लगाता है।

एस. ई. बी. आई की पूर्व सहमति;

((ख)

यह वैधानिक निर्माण का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि एक वैधानिक प्रावधान की व्याख्या करते समय, कोई जोड़ या

इससे घटाने की अनुमति है;

एस. ई. बी. आई. की यह प्रस्तुति कि इसकी सहमति अनिवार्य है

(iii)

धारा 24 ए के तहत अपराध को चक्रवृद्धि करने का आदेश, यदि स्वीकार किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप क़ानून के प्रावधानों को फिर से लिखा जाएगा। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 621-ए पर विचार करते हुए, जिसे 1988 के एक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, यह न्यायालय वी. एल. एस. फाइनेंस लिमिटेड बनाम भारत संघ 3 ("वी. एल. एस".

वित्त) ने अभिनिर्धारित किया कि कंपनी विधि बोर्ड द्वारा किसी अपराध को चक्रवृद्धि किए जाने से पहले न्यायालय की मंजूरी या पूर्व अनुमति की आवश्यकता के अभाव में, ऐसा

पूर्व अनुमति की आवश्यकता निहित नहीं की जा सकी क्योंकि यह कानून की शर्तों के विपरीत होगा; और

(iv) जे. आई. के. इंडस्ट्रीज (ऊपर) में निर्णय, इस सिद्धांत के लिए एक प्राधिकरण है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 के तहत एक योजना चक्रवृद्धि के बराबर नहीं है।

परक्राम्य की धारा 138 के तहत अपराध

लिखत अधिनियम, 1888 ("एन. आई. अधिनियम")। एन. आई. अधिनियम के मामले में, धारा 147 केवल यह बताती है कि अधिनियम के तहत अपराध

यह शमनीय होगा जबकि एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 24 ए विशेष रूप से एस. ए. टी. और न्यायालय की अपराधों को शमनीय बनाने की शक्ति प्रदान करती है।

21. ये प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ अब हमारे विचार के लिए आती हैं।

ई विश्लेषण

ई. 1 एस. ई. बी. आई. अधिनियम की संरचना

22. एस. ई. बी. आई. अधिनियम के लंबे शीर्षक में कहा गया है कि इसे "लोगों के हितों की रक्षा के लिए एक बोर्ड की स्थापना के प्रावधान के लिए" अधिनियमित किया गया है।

प्रतिभूतियों में निवेशक और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना और उसे विनियमित करना और उससे जुड़े या उससे प्रासंगिक मामलों के लिए। के साथ वस्तुओं और कारणों का विवरण संसद में विधेयक पेश करने में कहा गया है कि प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित और स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने और निवेशकों की सुरक्षा के लिए एक सरकारी प्रस्ताव के माध्यम से 1988 में एस. ई. बी. आई. की स्थापना की गई थी। एस. ई. बी. आई. इन लक्षयों को प्राप्त करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों, म्यूचुअल फंडों, मर्चेंट बैंकरों और अन्य गतिविधियों की निगरानी कर रहा था। उद्देश्यों और कारणों का कथन स्पष्ट करता है कि:

" हाल के दिनों में पूंजी बाजार में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है, विशेष रूप से जनता की बढ़ती भागीदारी की विशेषता है। पूंजी बाजार में निवेशकों के विश्वास को निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करके काफी हद तक बनाए रखा जा सकता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने सभी मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक वैधानिक शक्तियों को तुरंत एस. ई. बी. आई. को सौंपने का निर्णय लिया। पूँजी बाजार से संबंधित। चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था और पूंजी बाजार के विकास और स्थिरता में जनता में विश्वास की भावना पैदा करने की तत्काल आवश्यकता थी, इसलिए राष्ट्रपति ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की घोषणा की।

अध्यादेश, 1992 (1992 का सं. 5) 30 जनवरी, 1992 को।

23. एस. ई. बी. आई. अधिनियम के अध्याय IV में एस. ई. बी. आई. की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया है। इस अध्याय के भीतर, धारा 11 में एस. ई. बी. आई. के कार्यों को निर्धारित किया गया है। उप-धारा (1) प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूतियों के विकास और विनियमन को बढ़ावा देने का कर्तव्य एस. ई. बी. आई. पर डालती है।

प्रतिभूति बाजार, ऐसे उपायों के माध्यम से जो वह उचित समझता है। उप-धारा (2) में निर्दिष्ट कार्यों में से हैं:

(1)

स्टॉक एक्सचेंज और किसी अन्य में व्यवसाय को विनियमित करना

शेयर बाजार (खंड (ए)); प्रकाश गुप्ता बनाम।

सुरक्षा और विनिमय बोर्ड

जे.]

भारत का [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़,

((ii) धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं को प्रतिबंधित करना।

प्रतिभूति बाजार (खंड (ई));

(प्रतिभूतियों में अंदरूनी व्यापार पर प्रतिबंध (खंड (छ)); और € ((iv) शेयरों के पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण को विनियमित करना।

कम्पनियों का (खंड (एच))।

24. उप-धारा (2ए) (29 अक्टूबर 2002 से प्रभावी) के तहत, एस. ई. बी. आई. को किसी भी पुस्तक का निरीक्षण करने का अधिकार है।

किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी या सार्वजनिक कंपनी का रजिस्टर, दस्तावेज़ या रिकॉर्ड

कंपनी जो अपनी प्रतिभूतियों को किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने का इरादा रखती है, जहां SEBI के पास यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसी कंपनी अंदरूनी व्यापार या धोखाधड़ी में लिप्त रही है और

प्रतिभूति बाजार से संबंधित अनुचित व्यापार व्यवहार। उप-धारा (4) एस. ई. बी. आई. को निवेशकों या प्रतिभूति बाजार के हित में कुछ उपाय करने का अधिकार देती है।

पूरा करना। 25. धारा 11ए विनियमन बनाने या दस्तावेजों को जारी करने पर प्रतिबंध लगाने वाले सामान्य या विशेष आदेश जारी करने के लिए एस. ई. बी. आई. की शक्ति से संबंधित है।

या प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए जनता से धन मांगने वाले विज्ञापन। धारा 11बी एस. ई. बी. आई. को निर्देश जारी करने और जुर्माना लगाने का अधिकार देती है। धारा 11सी जांच की शक्तियों का उल्लेख करती है जो एस. ई. बी. आई. को सौंपी गई हैं। 26. अध्याय वी. ए., जिसमें धारा 12ए शामिल है, में अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में जोड़-तोड़ और भ्रामक उपकरणों, आंतरिक व्यापार और प्रतिभूतियों के पर्याप्त अधिग्रहण या नियंत्रण का निषेध शामिल है।

27. अध्याय वी. आई. ए. दंड और निर्णय से संबंधित है। एस. ई. बी. आई. को विभिन्न स्थितियों में जुर्माना लगाने का अधिकार है, जिनमें शामिल हैं:

सूचना, विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए दंड,

((i)

दस्तावेज़ या रिपोर्ट (धारा 15 ए);

((ख)

निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने में विफलता के लिए जुर्माना (अनुभाग 15 ℃) ;

(iii)

म्यूचुअल फंड के मामले में चूक के लिए जुर्माना (धारा 15 डी);

(iv) स्टॉक ब्रोकरों के मामले में चूक के लिए जुर्माना (धारा 15 एफ); [2021] 4 एस. सी. आर.

(v) अंदरूनी व्यापार के लिए जुर्माना (धारा 15 जी);

(vi) शेयरों के अधिग्रहण का खुलासा न करने के लिए जुर्माना (धारा। 3

15 एच);

(vii) धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए दंड (धारा

15 एचए);

(viii) परिवर्तन, अभिलेखों को नष्ट करने और बोर्ड के इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस की सुरक्षा करने में विफलता के लिए दंड (धारा

15 एच. ए. ए.) और

(ix)

उल्लंघन के लिए जुर्माना जहां कोई अलग जुर्माना नहीं है

प्रदान किया गया (धारा 15 एचबी)।

28. धारा 15-I ने शक्ति को स्पष्ट करने वाले प्रावधान किए हैं -

निम्नलिखित शर्तों में लाइसेंसः

" 15 - I निर्णय लेने की शक्तिः (1) निर्णय लेने के उद्देश्य से

धारा 15 ए, 15 बी, 15 सी, 15 डी, 15 ई, 15-ईए, 15-ईबी, 15 एफ, 15 जी, 15 एच, 15 एचए और 15 एचबी के तहत बोर्ड किसी भी अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है।

किसी भी संबंधित व्यक्ति को कोई जुर्माना लगाने के उद्देश्य से सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद निर्धारित तरीके से जांच करने के लिए एक न्यायनिर्णायक अधिकारी होना।

(2) जाँच करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारी के पास होगा

किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को बुलाने और लागू करने की शक्ति

साक्षय देने के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना या कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करना जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय वस्तु के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो और यदि ऐसी जांच पर वह संतुष्ट है कि -

व्यक्ति किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफल रहा है

उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट धाराओं के अनुसार, वह उन धाराओं में से किसी के प्रावधानों के अनुसार ऐसा जुर्माना लगा सकता है जो वह उचित समझे। (3) बोर्ड किसी के रिकॉर्ड की मांग और जांच कर सकता है।

इस धारा के तहत कार्यवाही और यदि यह मानता है कि आदेश न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किया जाना इस हद तक गलत है कि यह प्रतिभूति बाजार के हित में नहीं है, वह ऐसी जांच करने या कराने के बाद, जो वह आवश्यक समझे, जुर्माने की मात्रा बढ़ाने का आदेश पारित कर सकता है, यदि परिस्थितियां -

मामला इस प्रकार उचित है:

कैश गुप्ता बनाम। सुरक्षा और विनिमय बोर्ड

भारत का [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि व्यक्ति संबंधित को सुनवाई का अवसर दिया गया है

विषय:

बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कुछ भी न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश या उसके निपटारे की तारीख से तीन महीने की अवधि की समाप्ति के बाद लागू नहीं होगा। धारा 15 टी के तहत अपील, जो भी पहले हो।

धारा 15 जे. बी. प्रशासनिक और नागरिक मामलों के निपटारे का प्रावधान करती है।

निम्नलिखित शब्दों में संपादन:

धारा 11, धारा 11-बी, धारा 11-डी, धारा 12 की उप-धारा (3) या धारा 15-I के तहत शुरू किया गया है या शुरू किया जा सकता है, बोर्ड को लिखित रूप में एक आवेदन दायर कर सकता है जिसमें निपटान का प्रस्ताव दिया गया है। कथित चूक के लिए शुरू की गई या शुरू की जाने वाली कार्यवाही।

(2) बोर्ड, चूक की प्रकृति, गंभीरता और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, चूककर्ता द्वारा ऐसी राशि के भुगतान पर या ऐसी अन्य शर्तों पर जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं, निपटान के प्रस्ताव पर सहमत हो सकता है।

इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियम।

इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियम। (4) इस धारा के तहत बोर्ड या न्यायनिर्णायक अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा पारित किसी भी आदेश के खिलाफ धारा 15-टी के तहत कोई अपील नहीं होगी।

(5) इस अधिनियम के तहत वसूल की गई भुगतान राशि और कानूनी लागत को छोड़कर सभी निपटान राशियों को जमा किया जाएगा।

भारत की समेकित निधि।" 29. अध्याय VIB स्थापना, अधिकारिता के लिए प्रावधान करता है,

विधि और एस. ए. टी. की प्रक्रिया। धारा 15 टी अपील का प्रावधान करती है।

टी:

" 15 टी. प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करें। (1) उप-धारा (2) में दिए गए प्रावधान को छोड़कर, कोई भी व्यथित व्यक्ति, (ए) [2021] 4 एस. सी. आर. द्वारा।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करना पसंद कर सकता है जिसका अधिकार क्षेत्र मामला "।

30. कानून के सवाल पर एस. ए. टी. के फैसले के खिलाफ धारा 15 जेड के तहत इस अदालत में अपील की जाती है:

" 15 सर्वोच्च न्यायालय में जेड अपील-प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश से उत्पन्न कानून के किसी भी प्रश्न पर प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय या आदेश के संचार की तारीख से साठ दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है: बशर्ते कि
उच्चतम न्यायालय, यदि यह संतुष्ट हो कि अपीलार्थी को उक्त अवधि के भीतर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो इसे आगे की अवधि के भीतर दायर करने की अनुमति दे सकता है।

साठ दिनों से अधिक नहीं। "

31. अध्याय वी. आई. ए., अध्याय VII, जिसका शीर्षक 'विविध' है, में दंड और निर्णय के प्रावधानों से अलग है

धारा 24 में अपराध। धारा 24 जैसा कि वर्तमान में है, निम्नलिखित में है।

शर्तें:

" 24. अपराध। - (1) इस अधिनियम के तहत न्यायनिर्णायक अधिकारी या बोर्ड द्वारा दंड के किसी भी अधिनिर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन करने में मदद करता है, तो वह दंडनीय होगा -

(2) यदि कोई व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी या बोर्ड द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहता है या किसी भी आदेश का पालन करने में विफल रहता है। निर्देश या आदेश, वह एक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होगा जो एक महीने से कम नहीं होगा लेकिन जो दस साल तक बढ़ सकता है, या जुर्माने से, जो बीस तक बढ़ सकता है।

पाँच करोड़ रुपये या दोनों के साथ। प्रकाश गुप्ता बनाम।

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

32. धारा 24 को 25 जनवरी 1995 से 1995 के अधिनियम 9 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। 2002 के अधिनियम 59 द्वारा इसके संशोधन से पहले

29 अक्टूबर 2002 से, धारा 24 ने निर्धारित किया कि उप-धारा (1) के तहत दंडनीय अपराध एक वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होंगे। इस प्रावधान को 2002 के संशोधन अधिनियम 59 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था ताकि दस साल की अवधि के लिए कारावास या 25 करोड़ रुपये तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान किया जा सके। इसी तरह, 2002 के संशोधन अधिनियम 59 से पहले उप-धारा (2) के तहत सजा तीन साल के लिए या जुर्माने के साथ थी जो 2000 रुपये से कम नहीं होगी, लेकिन जो 10,000 रुपये तक हो सकती है या

दोनों। 2002 के अधिनियम 59 में संशोधन करके इसे बढ़ाकर दस साल या 25 करोड़ रुपये तक के जुर्माने या दोनों के साथ किया गया है।

33. धारा 24 ए, संशोधन अधिनियम द्वारा पहली बार जोड़ी गई

59 2002 के अधिनियम में अपराधों के चक्रवृद्धि का प्रावधान है:

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में निहित कोई भी बात, इस अधिनियम के तहत दंडनीय कोई भी अपराध, जो केवल कारावास या कारावास और जुर्माने से दंडनीय अपराध नहीं है, किसी भी अपराध की स्थापना से पहले या बाद में हो सकता है। कार्यवाही, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा चक्रवृद्धि की जाए या

एक अदालत जिसके समक्ष ऐसी कार्यवाही लंबित है "

34. धारा 26 में कहा गया है कि:

" 26. अदालतों द्वारा अपराधों का संज्ञान-(1) कोई भी अदालत इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या विनियमों के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, सिवाय किसी शिकायत के।

बोर्ड द्वारा "।

" 27. कंपनियों द्वारा उल्लंघन-(1) जहां कोई उल्लंघन हो इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम, विनियमन, निर्देश या आदेश को एक कंपनी द्वारा किया गया है, प्रत्येक व्यक्ति जो उल्लंघन किए जाने के समय कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था और उसके लिए जिम्मेदार था,

उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और

जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए और तदनुसार दंडित किया जाना चाहिए: बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कुछ भी किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में प्रदान किए गए किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगा, यदि [2021] 4 एस. सी. आर.

वह साबित करता है कि उल्लंघन उसके बिना किया गया था यह ज्ञान या कि उसने इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया था।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी कंपनी द्वारा इस अधिनियम के तहत कोई उल्लंघन किया गया है और यह साबित होता है कि उल्लंघन कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या उसकी ओर से किसी भी उपेक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और -

जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जाए और तदनुसार दंडित किया जाए।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए,

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें एक फर्म या

व्यक्तियों के अन्य संघ; और

(ख) "निदेशक" से किसी फर्म के संबंध में फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

36. धारा 24ए, जो कुछ अपराधों के चक्रवृद्धि का प्रावधान करती है, में कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित होनी चाहिए:

इसके प्रावधानों की व्याख्या करते समय समझा गया: सबसे पहले, धारा 24ए एक अबाधित खंड के साथ शुरू होती है, "दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कुछ भी निहित होने के बावजूद"; दूसरा, एस. ई. बी. आई. अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध को चक्रवृद्धि किया जा सकता है, बशर्ते कि यह ऐसा अपराध न हो जो केवल कारावास या कारावास और जुर्माने से दंडनीय हो। इसलिए, केवल जहां जुर्माना कारावास का विकल्प है, वहां प्रावधान लागू होता है; तीसरा, अपराध को किसी भी कार्यवाही की स्थापना से पहले या बाद में चक्रवृद्धि की जा सकती है; और चौथा, अपराध को एस. ए. टी. या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा चक्रवृद्धि की जा सकती है, जिसके समक्ष ऐसी कार्यवाही लंबित है।

37. धारा 24 की उप-धारा (1) के तहत दंडनीय अपराध इस कारण से शमनीय हैं कि दंड

निर्धारित कारावास की एक निश्चित अवधि के लिए या जुर्माने के साथ या दोनों के साथ है (कारावास की अवधि और जुर्माने की मात्रा को बढ़ाया गया है जैसा कि हमने पहले देखा है लेकिन यह व्याख्या के इस हिस्से के लिए प्रासंगिक नहीं है)। चाहे वह धारा 24 की उप-धारा (2) के तहत अपराध हो। धारा 24ए के तहत शमनीय है जो उस निर्माण पर निर्भर करता है जिसे "या जुर्माने के साथ" शब्दों पर रखा जाना है। एक विकल्प यह होगा कि इन शब्दों को उन सभी पूर्ववर्ती शब्दों के विकल्प के रूप में समझा जाए जो तुरंत पहले दिखाई देते हैं, अर्थात् "वह दंडनीय प्रकाश गुप्ता v होगा।

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

कारावास के साथ जो एक महीने से कम नहीं होगा लेकिन जो दस साल तक बढ़ सकता है। दूसरा विकल्प यह है कि "या जुर्माने के साथ" शब्द न्यूनतम एक महीने से ऊपर लगाए गए किसी भी सजा के विकल्प हैं। प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि उप के तहत अपराधों के लिए धारा 24 की धारा (2), जो एक महीने से कम की अवधि के लिए कारावास निर्धारित करती है, अनिवार्य है। जबकि कारावास दस साल तक बढ़ सकता है, एक महीने से अधिक की किसी भी अवधि के लिए 25 करोड़ रुपये तक का जुर्माना एक वैकल्पिक या संचयी है। तथापि, चूंकि वर्तमान मामला धारा 24 (2) के निर्माण को बाधित नहीं करता है, इसलिए इस पर कोई अंतिम विचार व्यक्त करना आवश्यक नहीं है कि क्या उस प्रावधान के तहत कोई अपराध शमनीय है।

E. 2 धारा 24A के संबंध में SEBI के परिपत्र

38. धारा 24 ए में किसी अपराध के चक्रवृद्धि का भी प्रावधान है।

यदि, ऐसी स्थिति में न्यायालय की अनिवार्यता आवश्यक है। अभिव्यक्ति "या एक अदालत जिसके समक्ष ऐसी कार्यवाही लंबित है" इंगित करेगी कि एक बार उसके समक्ष कार्यवाही शुरू हो जाने के बाद, न्यायालय के पास चक्रवृद्धि अपराधों के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र है। यह होगा धारा 24 ए की भाषा के व्यावहारिक निहितार्थ को बेहतर ढंग से समझने के लिए एस. ई. बी. आई. द्वारा जारी परिपत्रों को भी देखना निर्देशात्मक है।

39. 20 अप्रैल 20074 के एक परिपत्र में, एस. ई. बी. आई. ने इसके लिए दिशानिर्देश जारी किए।

एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 15 टी और डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 की धारा 23 ए के तहत सहमति आदेश और एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 24 ए, डिपॉजिटरी अधिनियम की धारा 22 ए और प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 23 एन के तहत अपराधों के चक्रवृद्धि के लिए। इसने नोट किया कि एक अपराध का चक्रवृद्धि "आपराधिक अदालतों के समक्ष SEBI द्वारा दायर उचित अभियोजन मामलों को शामिल कर सकता है" और "SEBI द्वारा आपराधिक शिकायत दर्ज करने के बाद हो सकता है"। अंत में, यह निम्नलिखित शब्दों में एक अभियुक्त व्यक्ति द्वारा चक्रवृद्धि की मांग करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को नोट करता है:

" कोई भी पक्ष जो एक अपराध को चक्रवृद्धि करना चाहता है, एक दायर करेगा

अदालत के समक्ष उपयुक्त आवेदन जहाँ शिकायत लंबित है

4 <HTTPS पर उपलब्ध: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. सेब. गव. में/कानूनी/परिपत्र/अप्रैल-2007/सहमति के लिए दिशानिर्देश-और-के लिए-विचार-अनुरोध-के लिए-संरचना-के-अपराध 9254। एच. टी. एम. एल.> 20 जुलाई 2021 को पहुँचा गया [2021] 4 एस. सी. आर.

अभियोजन प्रभाग, प्रवर्तन को संबोधित एक प्रति के साथ सेबी के मुंबई कार्यालय का विभाग (पता ऊपर दिया गया है)

जो पहले रखे जाने वाले आवेदन/अनुरोध को अग्रेषित करेगा

उच्चाधिकार प्राप्त समिति। के रूप में चक्रवृद्धि की शर्तें

समिति द्वारा अनुशंसित और पैनल द्वारा अनुमोदित

डब्ल्यू. टी. एम. को अदालत के समक्ष रखा जाएगा

लिखित प्रस्तुतियों के माध्यम से अभियोजन प्रभाग या न्यायालय के रूप में आदेश पारित करने के लिए, यथासंभव उपयुक्त आवेदन

ठीक लगता है "।

जोर दिया गया

40. इस परिपत्र के साथ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न निश्चित थे।

एस. ई. बी. आई. एस. द्वारा जारी किए गए प्रश्न ("एफ. ए. क्यू".)। संबंधित को नीचे निकाला गया है:

" Q6. अपराध की चक्रवृद्धि का उद्देश्य क्या है?

ए. अपराध का चक्रवृद्धि अभियुक्त को लंबे समय तक अपराध से बचने की अनुमति देता है।

आपराधिक अभियोजन की प्रक्रिया, जिससे लागत, समय की बचत होगी,

चक्रवृद्धि शुल्क के भुगतान के बदले में मानसिक पीड़ा आदि।

[.....]

Q14. अपराध की चक्रवृद्धि किस स्तर पर हो सकती है?

ए. एस. ई. बी. आई. द्वारा आपराधिक शिकायत दर्ज करने के बाद किसी भी स्तर पर। कहाँ ए।

आपराधिक शिकायत अभी तक दर्ज नहीं की गई है लेकिन इसकी परिकल्पना की गई है,

सहमति आदेशों के लिए प्रक्रिया का पालन किया जाएगा न कि एक

संयोजन के लिए। [.....]

प्रश्न 16 सहमति आदेश/चक्रवृद्धि पारित करने की प्रक्रिया क्या है?

अपराधों का?

अदालत के समक्ष उपयुक्त आवेदन जहाँ शिकायत लंबित है अभियोजन प्रभाग, प्रवर्तन को संबोधित एक प्रति के साथ

सेबी के मुंबई कार्यालय का विभाग जो आगे बढ़ाएगा

समिति। द्वारा अनुशंसित चक्रवृद्धि की शर्तें समिति और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी

5 <HTTPS पर उपलब्धः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. सेब. गव. इन/सेबी _ डेटा/कमोंडॉक्स/कन्सेन्टॉर्ड-फेक 1 _ पी। पी. डी. एफ.> 20 जुलाई 2021 को एक्सेस किया गया प्रकाश गुप्ता v.

सुरक्षा और विनिमय बोर्ड

भारत का [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़,

जे.]

द्वारा अभियोजन प्रभाग द्वारा न्यायालय के समक्ष रखा गया

लिखित प्रस्तुतियाँ या आवेदन, जैसा उपयुक्त हो, पारित करने के लिए आदेश जो अदालत उचित समझे।

[...]

Q23. स्वीकार न करने के क्या परिणाम होंगे?

ए. ऐसे मामलों में जहां एस. ई. बी. आई. समझौता स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है /

अपराध के चक्रवृद्धि पर, एस. ई. बी. आई. पहले अपनी आपत्तियाँ दर्ज कराएगा।

एस. ए. टी./न्यायालय विचार के लिए "।

41. एस. ई. बी. आई. ने 20 अप्रैल 2007 के परिपत्र में संशोधन किया।

परिपत्र दिनांक 25 मई 20126। जबकि परिपत्र मुख्य रूप से सहमति आदेशों के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी करता है, यह उन अपराधों की एक सूची भी प्रदान करता है जिनका निपटान SEBI नहीं करेगा, जिसमें शामिल हैं:

" ii. गंभीर धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाएं जो बोर्ड की राय, निवेशकों को पर्याप्त नुकसान पहुंचाती है और/या

उनके अधिकारों को प्रभावित करता है, विशेष रूप से खुदरा निवेशक और छोटे निवेशक

शेयरधारकों का या उनका बाजार पर व्यापक प्रभाव है या हो सकता है, सिवाय इसके

वे चूक जहाँ इकाई के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करती है

निवेशक; "

42. एस. ई. बी. आई. द्वारा जारी किए गए दो परिपत्रों और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का संयुक्त अध्ययन निम्नलिखित को स्पष्ट करता है: सबसे पहले, एक पक्ष SEBI द्वारा आपराधिक शिकायत दर्ज किए जाने के बाद किसी भी स्तर पर धारा 24A के तहत चक्रवृद्धि की मांग कर सकता है; दूसरा, पक्ष को इसके लिए आवेदन दायर करना होगा।

न्यायालय के समक्ष जहां आपराधिक शिकायत लंबित है, परिवर्धन; तीसरा, परिवर्धन के लिए आवेदन की एक प्रति भी एस. ई. बी. आई. को भेजी जानी चाहिए, जो इसे एच. पी. ए. सी. 7 के समक्ष रखेगी; और चौथा, आवेदन पर एच. पी. ए. सी. का निर्णय, चाहे वह स्वीकृति हो या आपत्ति, एस. ई. बी. आई. द्वारा उपयुक्त न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा, जिसे उचित आदेश पारित करने होंगे। इसलिए, इससे यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि धारा 24 ए के तहत चक्रवृद्धि के लिए किसी पक्ष के आवेदन पर एच. पी. ए. सी. के निर्णय को उपयुक्त न्यायालय के समक्ष रखा जाना चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रहना चाहिए।

6 <HTTPS पर उपलब्ध: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. सेब. गव. में/कानूनी/परिपत्र/मई-2012/संशोधन-में

सहमति-परिपत्र-दिनांक-20 अप्रैल-2007 _ 22808। एच. टी. एम. एल.> 20 जुलाई 2021 को एक्सेस किया गया '25 मई 2012 के परिपत्र के तहत गठित "जिसमें उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और तीन अन्य बाहरी विशेषज्ञ शामिल हैं, जैसा कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय किया जा सकता है।

43. हालाँकि, चूंकि एस. ई. बी. आई. ने हमारे सामने तर्क दिया है कि धारा के तहत अपराध को बढ़ाने के लिए उसकी सहमति को अनिवार्य माना जाना चाहिए।

24 ए, हमें स्वतंत्र रूप से तर्क का उसके गुण-दोष के आधार पर मूल्यांकन भी करना चाहिए। ऐसा करने के लिए, हमें पहले अपराधों के संयोजन के लिए न्यायशास्त्र के आधार को समझना होगा।

ई. 3 'यौगिक' के लिए न्यायिक आधार

44. चक्रवृद्धि के इतिहास का पता लगाने के लिए, हमें अंग्रेजी सामान्य कानून में इसकी उत्पत्ति के साथ शुरुआत करनी चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि मूल चर्चाएँ

अंग्रेजी सामान्य कानून में अपराधों का संयोजन (या संरचना) इसके संदर्भ में एक प्रक्रियात्मक उपकरण के रूप में नहीं होता है (जैसा कि हम आज समझें) बल्कि एक अपराध के रूप में। इस तरह के अपराध के तहत, एक अभियोजक या एक पीड़ित नहीं के बदले में विचार स्वीकार करेगा

किसी अपराध पर मुकदमा चलाना।

45. वास्तव में, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में "चक्रवृद्धि अपराध" अभिव्यक्ति की परिभाषा इस प्रकार है:

" चक्रवृद्धि अपराध। चक्रवृद्धि अपराध में शामिल हैं - किसी व्यक्ति पर मुकदमा न चलाने या उसे सूचित न करने के समझौते के बदले में किसी संपत्ति या अन्य प्रतिफल की प्राप्ति

एक अपराध। सामान्य कानून में और विशिष्ट चक्रवृद्धि क़ानून के तहत इस अपराध के तीन तत्व हैं: (1) मुकदमा नहीं चलाने का समझौता; (2) किसी अपराध के वास्तविक कृत्य का ज्ञान;

और (3) कुछ प्रतिफल की प्राप्ति। एक व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध, जो एक अपराध से सीधे घायल हो गया है, अपराधी से सहमत है कि वह नहीं करेगा

क्षतिपूर्ति करने की शर्त पर उस पर मुकदमा चलाएँ, या

मुकदमा चलाने के लिए मना करने के लिए इनाम लेने का अपराध अपराध; जहाँ एक पक्ष लूटा जाता है वह अपना सामान फिर से ले जाता है, या अन्य संशोधन, मुकदमा नहीं चलाने के समझौते पर।

46. इसी तरह, पी. रामनाथ अय्यर का उन्नत कानून शब्दकोश

"अपराध का चक्रवृद्धि" अभिव्यक्ति को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करता है:

" किसी अपराध पर मुकदमा नहीं चलाने के लिए सहमत होने का अपराध

जानता है कि प्रतिबद्ध किया गया है या बाधा डालने के लिए सहमत है अभियोजन। इसे चोरी-बोटे भी कहा जाता है। (ब्लैक, 7 वीं संस्करण, 1999)

3 पर्सी हेनरी विनफील्ड, पेज 117 पर कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग का वर्तमान कानून (कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2013)

9 5 संस्करण, पृष्ठ 259 10 3 रा संस्करण, पृष्ठ 932 कैश गुप्ता बनाम पर पुनर्मुद्रण 2007।

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" यदि अभियोजन पक्ष के वकील को दूसरे से धन स्वीकार करना चाहिए ताकि अधिकारी को उस व्यक्ति के खिलाफ अभियोग के निष्कर्ष को रोकने के लिए प्रेरित किया जा सके तो यह एक अपराध होगा यदि अधिकारी को पता था कि दूसरा किसी अपराध का दोषी है, लेकिन यह रिश्वत होगी चाहे उसे ऐसी जानकारी हो या नहीं। रोलिन एम. पर्किन्स और रोनाल्ड एन. बॉयस, क्रिमिनल लॉ 539 (3 डी संस्करण। 1982) "।

47. इस संदर्भ में हम एन पीनल कोड, 1860 ("आई. पी. सी".) की धारा 233 और 214 का उल्लेख कर सकते हैं जो इसी तरह के अपराध को भी लागू करती है।

लिया, निम्नलिखित शब्दों में:

सजा। जो भी स्वीकार करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है, या सहमत होता है अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी भी संतुष्टि को स्वीकार करना, या

स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति की प्रतिपूर्ति,

उसके किसी अपराध को छिपाने या उसकी किसी भी जांच पर विचार

किसी भी अपराध के लिए कानूनी सजा से व्यक्ति, या उसके नहीं

उसे लाने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही

कानूनी सजा,

यदि एक बड़ा अपराध है। — यदि अपराध मृत्युदंड योग्य है, तो उसे एक अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा।

और यदि अपराध आजीवन कारावास या दस वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा। इसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

और यदि अपराध कारावास के साथ दंडनीय है जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता है

दस वर्ष तक, अपराध के लिए दिए गए विवरण के कारावास से एक अवधि के लिए दंडित किया जाएगा जो एक तक हो सकता है

कारावास की सबसे लंबी अवधि का चौथा भाग

अपराध, या जुर्माना, या दोनों के साथ।

214. उपहार देना या संपत्ति की बहाली पर विचार करना

अपराधी की जाँच करना। जो कोई भी किसी व्यक्ति को कोई संतुष्टि देता है या देता है, या देने के लिए सहमत होता है या किसी व्यक्ति को कोई संतुष्टि देता है, या किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति को पुनर्स्थापित करता है या पुनर्स्थापित करता है। उस व्यक्ति द्वारा किसी अपराध को छिपाने, या किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए कानूनी सजा से उसकी जाँच करने पर विचार, या [2021] 4 एस. सी. आर.

लाने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही नहीं करना

उसे कानूनी सजा दी जाए,

यदि एक बड़ा अपराध है। - यदि अपराध मृत्युदंड योग्य है, तो उसे एक अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा।

जो सात वर्ष तक बढ़ सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा; यदि आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय है। और यदि अपराध आजीवन कारावास या दस वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

और यदि अपराध कारावास के साथ दंडनीय है जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता है

दस वर्ष तक, अपराध के लिए दिए गए विवरण के कारावास से एक अवधि के लिए दंडित किया जाएगा जो एक वर्ष तक बढ़ सकता है।

कारावास की सबसे लंबी अवधि का चौथा भाग अपराध के लिए, या जुर्माने के साथ, या दोनों के साथ प्रदान किया गया है।

अपवाद। धारा 233 और 214 के प्रावधान किसी भी मामले में लागू नहीं होते हैं जिसमें अपराध को कानूनी रूप से चक्रवृद्धि किया जा सकता है।

जबकि धारा 233 और 214 के प्रावधानों के "अपवाद" उन प्रावधानों को लागू नहीं करते हैं जो उन अपराधों के लिए लागू होते हैं जिन्हें चक्रवृद्धि किया जा सकता है,

48. दूसरी ओर, यह 1872 में था, जब दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया गया था, उस चक्रवृद्धि को पहली बार एक के रूप में पेश किया गया था भारतीय आपराधिक कानून में प्रक्रियात्मक उपकरण। धारा 188 में कहा गया है:

" धारा 188 चक्रवृद्धि अपराध-अपराधों के मामले में

जो कानूनी रूप से यौगिक हो सकता है, घायल व्यक्ति कर सकते हैं

न्यायालय से बाहर या न्यायालय की अनुमति से न्यायालय में अपराध का चक्रवृद्धि। ”

जैसा कि स्पष्ट है, उपरोक्त प्रावधान में केवल यह प्रावधान किया गया था कि अपराधों का चक्रवृद्धि न्यायालय से बाहर या न्यायालय में इसके साथ संभव था अनुमति ली। हालांकि, यह उन अपराधों को संदर्भित करता है जो "कानूनी रूप से चक्रवृद्धि" हो सकते हैं, उन पर निर्णय न्यायिक विवेक पर छोड़ दिया गया था।

49. जब 1882 में दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया गया था, तो इसने उन अपराधों की एक सूची तैयार की, जिन्हें कैश गुप्ता बनाम द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]धारा 345 में टीएस। इस सूची का विस्तार तब किया गया जब 1898 में आपराधिक शिक्षा संहिता में फिर से संशोधन किया गया। अंत में, अपने वर्तमान रूप में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के तहत अपराधों को हटाने की अनुमति है।

धारा 320 के कुछ हिस्सों को नीचे निकाला गया है:

" 320. अपराधों का संयोजन (1) निम्नलिखित तालिका के पहले दो स्तंभों में निर्दिष्ट भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धाराओं के तहत दंडनीय अपराध निम्नानुसार हो सकते हैं:

उस के तीसरे कॉलम में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा यौगिक

टेबल।

(2) भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दंडनीय अपराध

ऐसे अपराध के लिए कोई भी अभियोजन लंबित है, उस तालिका के तीसरे कॉलम में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा जोड़ा जाएगा। (3) जब इस धारा के तहत कोई अपराध शमनीय होता है, तो ऐसे अपराध के लिए उकसाना या ऐसा अपराध करने का प्रयास (जब ऐसा प्रयास स्वयं एक अपराध है) या जहां आरोपी है

भारतीय दंड संहिता की धारा 34 या 149 (भारतीय दंड संहिता की धारा 45) के तहत उत्तरदायी।

1860) इसे इसी तरह से संयोजित किया जा सकता है।

(4) (a) जब वह व्यक्ति जो अन्यथा सक्षम होगा

इस धारा के तहत अपराध अठारह वर्ष से कम आयु का है या मूर्ख या पागल है, उसकी ओर से अनुबंध करने के लिए सक्षम कोई भी व्यक्ति अदालत की अनुमति से अनुबंध कर सकता है।

ऐसा अपराध।

न्यायालय की अनुमति के बिना अपराध की अनुमति दी जाएगी जिसे वह प्रतिबद्ध है, या, जैसा भी मामला हो, जिसके समक्ष अपील की सुनवाई की जानी है।

(6) धारा 401 के तहत संशोधन की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्य करने वाला उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय किसी भी व्यक्ति को [2021] 4 एस. सी. आर. की अनुमति दे सकता है।

कम्पाउन्ड कोई अपराध जिसके लिए ऐसा व्यक्ति सक्षम है इस धारा के तहत यौगिक।

(7) यदि अभियुक्त, पूर्व दोषसिद्धि के कारण, या तो बढ़ी हुई सजा के लिए उत्तरदायी है, तो कोई अपराध चक्रवृद्धि नहीं होगा।

ऐसे अपराध के लिए एक अलग प्रकार की सजा।

(8) इस धारा के तहत अपराध की संरचना का प्रभाव उस अभियुक्त के बरी होने पर पड़ेगा जिसके साथ अपराध का चक्रवृद्धि किया गया है।
(9) इसके द्वारा उपबंधित अपराध को छोड़कर कोई अपराध चक्रवृद्धि नहीं किया जाएगा।

अनुभाग "। 50. मोटे तौर पर, धारा 320 के प्रावधान इंगित करते हैं कि

अपराधों की तीन श्रेणियाँ हैं:

वे अपराध जिन्हें पक्षकारों द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

((i)

स्वयं को;

वे अपराध जिन्हें पक्षकारों द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

((ख)

लेकिन जिसके लिए न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता होती है; और

((ग) ऐसे अपराध जिनका चक्रवृद्धि बिल्कुल नहीं किया जा सकता है।

51. सी. आर. पी. सी. की धारा 320 की उप-धारा (1) में कहा गया है कि संलग्न तालिका के पहले दो स्तंभों में आई. पी. सी. की धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों को उस तालिका के तीसरे स्तंभ में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा अदालत की अनुमति के बिना जोड़ा जा सकता है। इस तालिका का कॉलम 1 अपराधों का वर्णन करता है, कॉलम 2 संबंधित को इंगित करता है

आई. पी. सी. की धारा और कॉलम 3 में उस व्यक्ति का प्रावधान है जिसके द्वारा अपराध को बढ़ाया जा सकता है। कॉलम 3 इंगित करता है कि अपराध का चक्रवृद्धि अनिवार्य रूप से पीड़ित, पीड़ित व्यक्ति या घायल व्यक्ति के कहने पर है। मोटे तौर पर, उप-धारा द्वारा कवर किए गए अपराध

(1) धारा 320 अपेक्षाकृत मामूली प्रकृति की है जो किसी व्यक्ति के खिलाफ बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित किए बिना निर्देशित की गई है। इन अपराधों के लिए अधिकतम सजा पांच से सात साल के कारावास तक हो सकती है। लगभग सभी अपराध जमानती हैं और कई संज्ञेय नहीं हैं। 52. धारा 320 की उप-धारा (2) उन अपराधों के लिए प्रावधान करती है जहां चक्रवृद्धि के लिए न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता होती है जिसके समक्ष -

अपराध के लिए मुकदमा लंबित है। जैसा कि धारा 320 की उप-धारा (1) द्वारा शासित अपराधों के मामले में, उप-धारा (2) से जुड़ी तालिका के कॉलम 1 में अपराधों का वर्णन किया गया है, कॉलम 2 में प्रकाश गुप्ता v निर्दिष्ट किया गया है।

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

आई. पी. सी. की संबंधित धारा और कॉलम 3 उस व्यक्ति को इंगित करता है जिसके द्वारा अपराध को बढ़ाया जा सकता है। द्वारा शासित अपराधों के संबंध में न्यायालय की अनुमति के लिए एक प्रावधान पेश किया गया है

53. धारा 320 की उप-धारा (3) में प्रावधान है कि जहां कोई अपराध प्रावधान के तहत शमनीय है, ऐसे अपराध के लिए उकसाना। या ऐसा अपराध करने का प्रयास या जहां अभियुक्त आई. पी. सी. की धारा 34 या धारा 149 के तहत उत्तरदायी है, उसे भी इसमें जोड़ा जा सकता है।

एक तरह से। उप-धारा (4ए) में प्रावधान है कि जहां वह व्यक्ति जो अन्यथा अपराध के तहत चक्रवृद्धि करने के लिए सक्षम होगा - प्रावधान 18 वर्ष से कम आयु का है या "मूर्ख या पागल" व्यक्ति है।

उनकी ओर से अनुबंध करने के लिए सक्षम, न्यायालय की अनुमति से, अपराध को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह, उप-धारा 4 (बी) के तहत, जहां

वह व्यक्ति जो अन्यथा प्रावधान के तहत अपराध को बढ़ाने के लिए सक्षम होगा, मर चुका है, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत परिभाषित उनके कानूनी प्रतिनिधि, अदालत की सहमति से अपराध को बढ़ा सकते हैं। उप-धारा (5) में प्रावधान है कि जहां अभियुक्त मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किया गया है या जब अभियुक्त को दोषी ठहराया गया है और एक अपील लंबित है, तो उस न्यायालय की अनुमति के बिना कोई समझौता नहीं किया जाएगा जिसके लिए अभियुक्त प्रतिबद्ध है या उस न्यायालय की अनुमति के बिना जिसके समक्ष अपील की सुनवाई की जानी है। उप-धारा (6) के तहत, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को किसी व्यक्ति को अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपराध को चक्रवृद्धि करने की अनुमति देने का अधिकार है, जिसे ऐसा व्यक्ति अन्यथा प्रावधान के तहत चक्रवृद्धि करने के लिए सक्षम है। उप-धारा (7) में प्रावधान किया गया है कि जब अभियुक्त दोषी होगा तो चक्रवृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

या तो बढ़ी हुई सजा या किसी अन्य की सजा के लिए उत्तरदायी पूर्व दोषसिद्धि के लिए इस तरह के अपराध के लिए प्रकार। उप-धारा (8) में प्रावधान है कि इस प्रावधान के तहत चक्रवृद्धि के प्रभाव का वही प्रभाव होगा जो अभियुक्त के बरी होने का होगा। अंत में, उप-धारा (9) में प्रावधान है कि प्रावधान द्वारा प्रदान किए गए प्रावधान के अलावा कोई भी अपराध चक्रवृद्धि नहीं किया जाएगा।

54. 1898 के अधिनियम की धारा 345 में अपराध के चक्रवृद्धि के प्रावधान के आधार को समझाते हुए, भारत के विधि आयोग ने अपनी 41 वीं रिपोर्ट में निम्नानुसार कहा:

1 1 पर उपलब्ध <HTTPS: //भारत का विधि आयोग। ठीक है। / 1-50 रिपोर्ट 41 में। पी. डी. एफ.> 20 जुलाई 2021 को पहुँचा गया [2021] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 24.66 ..... व्यापक सिद्धांत जो वर्तमान का आधार बनाता है

योजना यह है कि जहां अपराध अनिवार्य रूप से एक निजी है प्रकृति और अपेक्षाकृत गंभीर नहीं, यह यौगिक है।

जोर दिया

जाता है

55. भारत के विधि आयोग ने सी. आर. पी. सी. पर अपनी 154 वीं रिपोर्ट में,

धारा 320 के लिए तर्क को निम्नलिखित शब्दों में समझायाः .

समाज में शांति और सद्भाव बहाल करने के लिए शिकायतकर्ता, अपराधों की संरचना में प्रभाव दिया जाना चाहिए।

हालाँकि, यह भी नोट करने के लिए आगे बढ़ता हैः

द्वारा शमनीय अपराधों की श्रेणी के अंतर्गत लाया गया अदालत के हस्तक्षेप के बिना स्वयं पक्षकार। हालांकि,

बड़े पैमाने पर जनता के खिलाफ अपराध, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों होना चाहिए, यौगिक नहीं होना चाहिए।

जोर दिया गया

56. इसके बाद, (आई. पी. सी.) के संयोजन पर अपनी 237 वीं रिपोर्ट में

अपराधों में, भारत के विधि आयोग ने चक्रवृद्धि के लिए तर्क को निम्नानुसार समझायाः

" 1.2 आपराधिक कानून के संदर्भ में चक्रवृद्धि का अर्थ है

एक सौहार्दपूर्ण परिणाम के रूप में अभियोजन पक्ष से सहनशीलता

पक्षों के बीच समझौता। जैसा कि कलकत्ता हाई ने देखा है

मर्रे में एक पुराने फैसले में अदालत [(1894) 21 आई. एल. आर. 103 112 पर],

अपराध के चक्रवृद्धि का अर्थ है "वह व्यक्ति जिसके खिलाफ

अपराध को कुछ संतुष्टि मिली है,

अनिवार्य रूप से एक आर्थिक चरित्र का नहीं, एक प्रलोभन के रूप में कार्य करने के लिए

अभियोजन से दूर रहने की उसकी इच्छा "। पीड़ित हो सकता है

अपराधी या का रवैया से मुआवजा प्राप्त किया है

एक-दूसरे के प्रति पक्ष अच्छे के लिए बदल गए होंगे। द.

पीड़ित अभियुक्त के आपत्तिजनक आचरण को माफ करने के लिए तैयार है जो अनुशासित और पश्चाताप करने वाला बन गया। आपराधिक कानून होना चाहिए

1 2 पर उपलब्ध <HTTPS: //भारत का विधि आयोग। ठीक है। / 101-169 रिपोर्ट 154 वोल में। पी. डी. एफ.> 20 जुलाई 2021 को पहुँचा गया

13 <HTTPS पर उपलब्धः //भारत का विधि आयोग। ठीक है। में/रिपोर्ट/रिपोर्ट 237। पी. डी. एफ.> 20 जुलाई 2021 को एक्सेस किया गया प्रकाश गुप्ता v.

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

ऐसी स्थितियों पर ध्यान देने और एक उपाय प्रदान करने के लिए तैयार कुछ प्रकार की आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करना

अपराध। अपराधों के चक्रवृद्धि के पीछे यही तर्क है।

" "

57. विश्वबाहन दास बनाम गोपन चंद्र हजारिका 1 4 में, एक तीन

इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 320 में अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि कुछ वर्गों की गलतियाँ जो व्यक्ति को मुख्य रूप से उनकी व्यक्तिगत क्षमता या चरित्र में प्रभावित करती हैं, उनका पर्याप्त रूप से निवारण किया जा सकता है -

संयोजन।

58. शिवानंदन पासवान बनाम बिहार राज्य 1 5 में, एक संविधान

इस न्यायालय की पीठ सी. आर. पी. सी. की धारा 321 की व्याख्या कर रही थी। धारा 320 और 321 के बीच एक तुलना करते हुए, न्यायमूर्ति वी. खालिद ने अपने और न्यायमूर्ति नटराजन के लिए बोलते हुए कहा:

" 85. धारा 321 के दायरे का परीक्षण दूसरे कोण से किया जा सकता है।

और वह धारा 320 के संदर्भ में है जो

" अपराधों का संयोजन "। ये दोनों खंड अध्याय में आते हैं। 24 "पूछताछ और पूछताछ के लिए सामान्य प्रावधान" शीर्षक के तहत

परीक्षण "।

86. ये दो उप-खंड "अनुमति के साथ" अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं।

न्यायालय की "और" न्यायालय की सहमति से "जो अधिक हैं

या सामान्य से कम। के एक निष्पक्ष पढ़ने पर उपर्युक्त उप-धाराओं में यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि

धाराएँ न्यायालय को केवल पर्यवेक्षी शक्ति प्रदान करती हैं।

इसमें इंगित किया गया है, इस सुरक्षा के साथ कि अभियुक्त करता है अनुचित या छलपूर्ण तरीकों से नहीं, एक रचना को सुरक्षित करें

अपराध। इस प्रकार देखने पर मुझे नहीं लगता कि एक याचिका हो सकती है

सफलतापूर्वक अनुमति देना या सहमति देना

उप-धारा (4) (ए) या (4) (बी) के तहत अपराध के चक्रवृद्धि के लिए,

इसके परिणामस्वरूप बरी या दोषसिद्धि होगी। सहन करना आवश्यक है यह ध्यान में रखते हुए कि किसी अपराध के चक्रवृद्धि के लिए एक आवेदन

इसे किसी भी स्तर पर किया जा सकता है।

जोर दिया गया

59. उपरोक्त निर्णयों का विश्लेषण करते हुए, यह स्पष्ट है कि विधायी

सार्वजनिक प्रकृति, भले ही इसने पीड़ित पक्ष को सीधे प्रभावित किया हो। इन सिद्धांतों में से पहला महत्वपूर्ण है ताकि अदालतों की प्रतिकूल भूमिका के बिना पक्षों के बीच विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान की अनुमति दी जा सके और अदालतों के समक्ष आने वाले मामलों के बोझ को भी कम किया जा सके। हालांकि, दूसरा सिद्धांत भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी निजी पक्ष के खिलाफ किया गया अपराध भी बड़े पैमाने पर समाज के ताने-बाने को प्रभावित कर सकता है। इस तरह के अपराध का गैर-अभियोजन इन सीमाओं को प्रभावित कर सकता है: ऐसा आचरण जो समाज में स्वीकार्य हो। अदालतें अपने निर्णय के माध्यम से इन सीमाओं को निर्धारित करने और इन सीमाओं से कितनी दूर अपराध किया गया था, इसके अनुपात में सजा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार, किसी अपराध को चक्रवृद्धि करने के बारे में निर्णय लेने में, एक न्यायालय को न केवल अपने समक्ष पक्षकारों पर इसके प्रभाव को समझना होगा, बल्कि जनता पर इसके प्रभाव पर भी विचार करना होगा। इसलिए, व्यापक सामाजिक आयाम वाले अपराध के अभियोजन में सामाजिक हित को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

60. इस सिद्धांत का यह सूत्रीकरण भी संरेखण में है

अंग्रेजी सामान्य कानून के तहत स्थिति, जहां कीर बनाम एफ. लीमैन और पियर्सन में रानी की पीठ के एक फैसले में, लॉर्ड डेनमैन सीजे ने 1 6 का निर्णय दिया:

" हम शायद यह निर्धारित करने में सुरक्षित रहेंगे कि कानून ऐसा करेगा।

सभी अपराधों के समझौते की अनुमति दें, हालांकि विषय बनाया गया

एक आपराधिक अभियोजन, जिसके लिए घायल पक्ष अपराध कर सकता है एक कार्रवाई में मुकदमा करें और नुकसान की वसूली करें। यह अक्सर एकमात्र तरीका है

प्रकृति, कोई भी समझौता मान्य नहीं हो सकता है जो इस पर आधारित है इसके लिए अभियोजन को दबाने पर विचार "।

जोर दिया गया

61. सिंगापुर, जहाँ अपराधों के चक्रवृद्धि की प्रक्रिया

भारत 1 "के समान तरीके से पेश किया गया था, एक अनुरूप का अनुसरण करता है 1 6 (1844) 6 क्वींस बेंच ने 308 17 रयान डेविड लिम और सेलेन याप की रिपोर्ट दी, 'रचना: कानूनी और सैद्धांतिक आधार (2015) 27 एस. ए. सी. एल. जे. 462 प्रकाश गुप्ता बनाम।

सुरक्षा और विनिमय बोर्ड

जे.]

भारत का [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़,

सिद्धांत। लोक अभियोजक में सिंगापुर उच्च न्यायालय के फैसले में

बनाम नॉरज़ियन बिन बिनतात 1 8, मुख्य न्यायाधीश योंग पुंग हाउ ने कहा:

" 55. ..... इस प्रकार, ऐसे मामले में जहां जनहित शामिल है,

[.....]

57. दूसरी ओर, मामले यह भी दर्शाते हैं कि, उत्तेजक कारकों के अभाव में, अदालतों को उन मामलों में सहमति देने की ओर झुकना चाहिए जहां जनहित नहीं है

दृढ़ता से। "(जोर दिया गया)

62. हालाँकि, धारा 320 केवल आई. पी. सी. के तहत अपराधों के चक्रवृद्धि का प्रावधान करती है। इसलिए, आई. पी. सी. के बाहर के अपराधों के संबंध में, चक्रवृद्धि की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब अपराध का निर्माण करने वाले क़ानून में ऐसे अपराध को चक्रवृद्धि के लिए एक स्पष्ट प्रावधान हो, इससे पहले कि इस तरह के अपराध को चक्रवृद्धि योग्य बनाया जा सके। संयोजन की शक्ति

दूसरे शब्दों में, स्पष्ट रूप से उस क़ानून द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए जो अपराध पैदा करता है।

ई. 4 सी. आर. पी. सी. के बाहर यौगिक

63. अपराधों के चक्रवृद्धि के लिए एन. आई. अधिनियम की धारा 147 में निहित प्रावधान जे. आई. के. इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए आए। एन. आई. अधिनियम की धारा 147 निम्नलिखित शब्दों में है:

" 147. अपराध शमनीय होने चाहिए। - किसी भी बात के बावजूद दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में निहित, इस अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध शमनीय होगा।

64. उस मामले में, उच्च न्यायालय ने उन प्रक्रियाओं को चुनौती देने वाली कई रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया था जो ट्रायल जज द्वारा जारी की गई थीं। धारा 138 के तहत कार्यवाही में प्रतिवादी द्वारा दायर शिकायत पढ़ें

धारा 141 के साथ। उच्च न्यायालय ने कहा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 के तहत किसी योजना को मंजूरी देना स्वतः धारा 138 के तहत अपराध के चक्रवृद्धि के बराबर नहीं है।

एन. आई. अधिनियम की धारा 141। दूसरे शब्दों में, 1956 के अधिनियम की धारा 391 के तहत योजना की मंजूरी का एन. आई. की धारा 138 के तहत किसी अपराध के लिए कार्यवाही को समाप्त करने का प्रभाव नहीं माना गया था।

एक्ट करें। न्यायमूर्ति ए. के. गांगुली ने दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से कहा, 18
[1995] एसजीएचसी 207 [2021] 4 एस. सी. आर.

कि अधिकांश मामलों में एन. आई. अधिनियम के तहत अपराध योजना से पहले किया गया था:

" 19. अधिकांश मामलों में तत्काल अपील में एन. आई. अधिनियम के तहत अपराध योजना से पहले किया गया है। इसलिए, जो अपराध योजना से पहले ही किया जा चुका है, वह केवल उक्त योजना के परिणामस्वरूप स्वचालित रूप से चक्रवृद्धि नहीं होता है। इसलिए, जे. के. (बॉम्बे) (पी) लिमिटेड [ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 1041] में उपरोक्त निर्णय के अनुपात पर भरोसा करके भी, यह न्यायालय अपीलार्थी के इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 391 के तहत योजना का प्रभाव एन. आई. के तहत अपराध को स्वचालित रूप से चक्रवृद्धि करने का होगा।

अधिनियम "।

अदालत ने आगे दोहराते हुए कहा:
" 27. अपराध का चक्रवृद्धि हमेशा नियंत्रित किया जाता है

वैधानिक प्रावधान। अपराध के चक्रवृद्धि में विभिन्न विशेषताएँ होती हैं और अपराधी द्वारा यह दावा करने से पहले कि अपराध चक्रवृद्धि किया गया है, उन विशेषताओं को संतुष्ट किया जाना चाहिए।

इस प्रकार, कंपनी न्यायालय द्वारा किसी योजना को मंजूरी देकर अप्रत्यक्ष रूप से किसी अपराध का चक्रवृद्धि प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

65. जे. आई. के. में निर्णय में अपीलार्थी का प्रस्तुतिकरण

उद्योग (ऊपर) धारा के तहत समझौते की एक योजना थी

391 कंपनी अधिनियम, 1956 एन. आई. अधिनियम के तहत एक अपराध के 'मानित चक्रवृद्धि' के रूप में कार्य करता है। इस दलील को अदालत ने खारिज कर दिया था। एक मामले को रद्द करने और चक्रवृद्धि के बीच अंतर करते हुए, न्यायालय ने कहा:

" 43. एक मामले को रद्द करना चक्रवृद्धि से अलग है। अदालत को रद्द करने में यह लागू होता है लेकिन चक्रवृद्धि में यह मुख्य रूप से घायल पक्ष की सहमति पर आधारित होता है। अतः इन दोनों की बराबरी नहीं की जा सकती। यहाँ ऊपर की गई चर्चा से यह स्पष्ट है कि डंकन कृषि मामला [(1996) 5 एस. सी. सी. 591: 1996 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1045] अपराध के चक्रवृद्धि से संबंधित नहीं था। इसके अलावा अदालत ने पाया कि धन प्राप्त करके बैंकों के बकाया का भुगतान किया गया है और बैंक द्वारा दीवानी अदालत में दायर मुकदमों से समझौता किया गया है। एफ़. आई. आर. 1987-1988 में दर्ज की गई थी और जाँच 1991 तक पूरी नहीं हुई थी। उन

तथ्यों पर न्यायालय ने जुलाई 1996 में निर्णय देते हुए महसूस किया कि समय के बीतने को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि प्रकाश गुप्ता बनाम है।

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

विचार करते हुए, इस न्यायालय ने "मामले के विशेष तथ्यों" में, उच्च न्यायालय के दिनांक 23-12-1992 के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया। जिसके तहत आपराधिक अभियोजन को रद्द कर दिया गया।

66. अदालत ने तब शिकायतकर्ता की इस दलील पर ध्यान दिया कि "आपराधिक कानून के तहत मानित चक्रवृद्धि की कोई अवधारणा नहीं है और

कि चक्रवृद्धि की अवधारणा के तहत, यह शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट सहमति के बिना नहीं हो सकता है। यह मानते हुए कि "अदालत को उपरोक्त प्रस्तुतिकरण में बहुत सार मिलता है", न्यायमूर्ति गांगुली ने कहा:

" 54. संहिता की धारा 320 के तहत अपराध का संयोजन वैधानिक रूप से प्रदान किया जाता है। यदि हम संहिता की धारा 320 से जुड़ी तालिका में निर्दिष्ट अपराधों की सूची को देखें, तो यह स्पष्ट होगा कि दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अपराधों की मूल रूप से दो श्रेणियां हैं जिन्हें शमनीय बनाया गया है। कम्पाउंडिंग के लिए अपराध की एक श्रेणी है जिसमें अदालत की अनुमति की आवश्यकता होती है और अपराधों की एक अन्य श्रेणी है जिसमें कम्पाउंडिंग के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन चक्रवृद्धि के सभी मामले तालिका के तीसरे कॉलम में उल्लिखित व्यक्तियों के कहने पर हो सकते हैं। यदि उक्त तालिका का अवलोकन किया जाता है, तो यह स्पष्ट होगा कि चक्रवृद्धि केवल उस व्यक्ति के कहने पर ही संभव हो सकती है जो या तो एक

शिकायतकर्ता या जो घायल हो गया है या व्यथित है।

67. उपरोक्त टिप्पणियाँ धारा 320 के वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करती हैं जो उस व्यक्ति को निर्दिष्ट करती हैं जिसके उदाहरण पर चक्रवृद्धि की अनुमति है। आगे बढ़ने से पहले, एन. आई. अधिनियम की धारा 147 के प्रावधानों से संबंधित दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच. 1,919 ("दामोदर एस. प्रभु") मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के एक फैसले पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, जिसमें न्यायालय ने कहा था:

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 धारा 147 द्वारा नियंत्रित है। और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 (इसके बाद "सी. आर. पी. सी".) द्वारा परिकल्पित योजना लागू नहीं होगी।

सख्त अर्थों में क्योंकि बाद वाला निर्दिष्ट अपराधों के लिए है

दंड संहिता, 1860 के तहत "।

अदालत ने तब नोट किया कि:

" 12. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 147 एक सक्षम प्रावधान की प्रकृति में है जो उसी अधिनियम के तहत निर्धारित अपराधों का चक्रवृद्धि, जिससे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 की उप धारा (9) में शामिल सामान्य नियम के लिए एक अपवाद के रूप में कार्य करता है जिसमें कहा गया है कि "इस धारा द्वारा प्रदान किए गए अपराध के अलावा कोई अपराध चक्रवृद्धि नहीं किया जाएगा"। इस प्रावधान को पढ़ने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि

दंड संहिता के अलावा अन्य कानूनों के तहत दंडनीय अपराधों को भी बढ़ाया नहीं जा सकता है। हालाँकि, चूंकि धारा 147 को एक विशेष कानून में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, इसलिए यह धारा 320 (9) दंड प्रक्रिया संहिता के प्रभाव को ओवरराइड करेगी, विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए। कि धारा 147 में एक गैर-बाध्यकारी खंड है।

68. दामोदर एस. प्रभु (उपरोक्त) मामले में न्यायालय ने कहा कि अपराध की चक्रवृद्धि की अनुमति अपराध की कथित गंभीरता और प्रदान किए गए उपचार की प्रकृति से जुड़ी हुई है। चेक के अपमान से जुड़े अपराध में, "यह उपचार का प्रतिपूरक पहलू है जिसे दंडात्मक पहलू पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए"।

साथ ही, न्याय मित्र के रूप में उपस्थित अटॉर्नी जनरल द्वारा न्यायालय के समक्ष इस बात पर प्रकाश डाला गया कि चेक अपमान के मामलों को मुकदमेबाजी के अंतिम चरणों में जटिल या निपटाया जा रहा था, जिससे न्याय देने में देरी हो रही थी। यह, आंशिक रूप से, इस तथ्य के कारण था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के विपरीत, एन. आई. अधिनियम की धारा 147 उस स्तर पर कोई स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान नहीं करती है जिस पर परिवर्धन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है और जहां परिवर्धन शिकायतकर्ता के कहने पर या अदालत की अनुमति से किया जा सकता है। नतीजतन, अभियुक्त व्यक्ति अभियोजन के विभिन्न चरणों के माध्यम से आगे बढ़ने का मौका लेने के लिए तैयार होते हैं और केवल तब चक्रवृद्धि का मार्ग चुनने के लिए तैयार होते हैं जब कोई अन्य विकल्प नहीं रहता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने अपने नियमों का प्रयोग करते हुए चक्रवृद्धि में पालन करने के लिए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह इन दिशानिर्देशों को जारी कर रहा था "जिसे न्यायिक कानून बनाने के कार्य के रूप में देखा जा सकता है और इसलिए विधायिका के क्षेत्र में घुसपैठ" क्योंकि धारा 147 में एन. आई. अधिनियम के तहत अपराध के चक्रवृद्धि के साथ आगे बढ़ने के बारे में कोई मार्गदर्शन नहीं दिया गया था। अदालत ने फिर से दोहराया कि उसने "पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि धारा 320 सी. आर. पी. सी. के तहत परिकल्पित योजना का सख्त अर्थों में पालन नहीं किया जा सकता है" और अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग विधायी प्रकाश गुप्ता बनाम की उपस्थिति के कारण किया जा रहा था।

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

एन. आई. अधिनियम में निर्वात, वादियों को धारा 138 से जुड़े मामलों में अपराध के चक्रवृद्धि में अनुचित देरी से हतोत्साहित करने के लिए। न्यायालय ने अपने दिशानिर्देशों में मुकदमे के प्रारंभिक चरण में चक्रवृद्धि को प्रोत्साहित करने के साधन के रूप में लागत लागू करके एक योजना का संकेत दिया।

प्रस्ताव है कि एन. आई. अधिनियम की धारा 147, जो एक विशेष क़ानून है, में चक्रवृद्धि करते समय व्यथित व्यक्ति की सहमति की आवश्यकता शामिल नहीं है, जैसा कि सी. आर. पी. सी. की धारा 320 में विचार किया गया है। यह हालाँकि प्रस्तुतिकरण को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि हालांकि एन. आई. अधिनियम के तहत अपराध, जो पहले सी. आर. पी. सी. की धारा 320 (9) के मद्देनजर गैर-शमनीय थे, अब शमनीय हो गए हैं, जो धारा 320 के सभी दिशानिर्देशों को समाप्त नहीं करते हैं:

" 68. उपरोक्त उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि एन. आई. अधिनियम के तहत अपराध, जो पहले एन. आई. अधिनियम की धारा 320 की उप-धारा (9) को देखते हुए गैर-शमनीय था।

कोड अब कंपाउंडेबल हो गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि धारा 147 का प्रभाव सभी वैधानिक प्रावधानों को समाप्त करना है।

संहिता की धारा 320 के रूप और तरीके से संबंधित है

एक अपराध का संयोजन। जहां तक एन. आई. अधिनियम की धारा 147 के तहत अपराध का संबंध है, धारा 147 केवल संहिता की धारा 320 (9) को ओवरराइड करेगी। दामोदर [(2010) 5 एस. सी. सी. 663 (2010) 2 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 520 में भी यह अनुपात है: (2010) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1328] (पैरा 12 देखें)। इसलिए, विद्वान वकील का प्रस्तुतिकरण

क्योंकि इसके विपरीत अपीलार्थी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

70. अदालत ने तब सी. आर. पी. सी. की धारा 4 पर भरोसा किया, जो अपराधों की जांच, जांच और मुकदमे के लिए भारत में शासी क़ानून है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 4, उप-धारा (1) में आई. पी. सी. के तहत अपराधों और उप-धारा (2) में किसी अन्य कानून के तहत अपराधों दोनों से संबंधित है। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपराधों के चक्रवृद्धि के लिए एन. आई. अधिनियम में एक विशेष प्रक्रिया के अभाव में, धारा 320 के तहत चक्रवृद्धि से संबंधित प्रक्रिया धारा 4 की उप-धारा (2) के स्पष्ट अधिदेश को देखते हुए स्वचालित रूप से लागू होगी, जो निम्नानुसार है:

" 4. (2) किसी भी अन्य कानून के तहत सभी अपराधों की जांच, जांच, मुकदमा चलाया जाएगा और अन्यथा उसी प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा, लेकिन उस समय लागू किसी भी

अधिनियम के अधीन होगा। जाँच के तरीके
या स्थान को विनियमित करना, जाँच करना, प्रयास करना

या अन्यथा ऐसे अपराधों से निपटना। "[2021] 4 एस. सी. आर.

अंत में, न्यायालय ने कहा: " 82. धारा 320 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि धारा 320 और विभिन्न उप-धाराओं में निहित प्रावधान अपने आप में अपराध के चक्रवृद्धि से संबंधित एक संहिता है। यह विभिन्न के लिए प्रदान करता है

के मामले में मापदंड और प्रक्रियाएं और दिशानिर्देश

एन. आई. अधिनियम के तहत अपराध। इसलिए, एन. आई. अधिनियम की धारा 147 का यथोचित अर्थ यह होना चाहिए कि उक्त धारा के परिणामस्वरूप एन. आई. अधिनियम के तहत अपराधों को शमनीय बनाया जाता है, लेकिन इस तरह के समूल्यांकन का मुख्य सिद्धांत, अर्थात्, पीड़ित व्यक्ति या घायल व्यक्ति या शिकायतकर्ता की सहमति को दूर नहीं किया जा सकता है और न ही इसे गुण द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। एन . आई. अधिनियम की धारा 147 "।

71. हालाँकि, इससे पहले कि हम जे. आई. के. इंडस्ट्रीज (ऊपर) में निर्णय को लागू कर सकें, यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि एक स्पष्ट अंतर है।

एन. आई. अधिनियम की धारा 147 और एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 24 ए के प्रावधानों के बीच। एन. आई. अधिनियम की धारा 147 के प्रावधानों की तुलना एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 24 ए के साथ करने से यह संकेत मिलता है कि वैधानिक प्रावधानों के दोनों सेट सी. आर. पी. सी. के प्रावधानों को ओवरराइड करने वाले एक गैर-अबाधित प्रावधान के साथ शुरू होते हैं, जहां तक अपराध की चक्रवृद्धि का संबंध है। चिंतित हैं। एन. आई. अधिनियम की धारा 147 में एक गैर-बाध्यकारी खंड निर्धारित करने के बाद, संसद ने प्रावधान किया है कि "इस अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध शमनीय होगा"। एन. आई. अधिनियम की धारा 147 स्पष्ट रूप से चक्रवृद्धि के लिए न्यायालय की अनुमति को शामिल नहीं करती है, क्योंकि अपराध का प्रभाव किसी व्यक्ति के खिलाफ होता है। एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 24 ए, जबकि एक समान गैर-बाधा खंड को शामिल करती है, अपराधों की कुछ श्रेणियों को बाहर करती है, अर्थात् केवल कारावास या कारावास और जुर्माने से दंडनीय अपराध। धारा 24 ए में कहा गया है कि अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध को एस. ए. टी. या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा चक्रवृद्धि की जा सकती है जिसके समक्ष ऐसी कार्यवाहियां प्रकाश गुप्ता v.

लंबित हैं। चक्रवृद्धि की शक्ति को किसी भी कार्यवाही की स्थापना से पहले या बाद में मान्यता दी जाती है।

72. इसलिए, यह स्पष्ट है कि धारा 24 ए अधिकारियों को निर्दिष्ट करती है

एस. ई. बी. आई. अधिनियम के तहत अपराधों को चक्रवृद्धि करने की शक्तियां निहित हैं, जबकि एन. आई. अधिनियम की धारा 147 में केवल यह कहा गया है कि अधिनियम के तहत अपराध शमनीय होगा। एन. आई. अधिनियम के तहत दायर की गई शिकायत में, शिकायतकर्ता एक पीड़ित पक्ष है, जो हमेशा एक अपमानित लिखत में प्राप्तकर्ता होता है। जे. आई. के. इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) में एन. आई. अधिनियम की धारा 147 के प्रावधानों की व्याख्या करते समय दो न्यायाधीशों की पीठ के साथ जिस विचार पर विचार किया गया, वह इसलिए एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 24 ए के प्रावधानों का अर्थ लगाते समय वास्तव में आकर्षित नहीं होगा। इसके अलावा, चूंकि दोनों वैधानिक प्रावधान समान सामग्री में नहीं हैं, इसलिए ऐसा नहीं है।

इस न्यायालय के लिए इस मुद्दे पर कोई राय व्यक्त करना आवश्यक है कि क्या

जे. आई. के. इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) में फैसला, जो दो न्यायाधीशों की पीठ का है, दामोदर एस. में पहले के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के विपरीत है। प्रभु (ऊपर)। हम वर्तमान मामले में एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 24 ए के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए चिंतित हैं, और इसलिए इस न्यायालय के लिए एन. आई. अधिनियम की धारा 147 का अर्थ लगाना आवश्यक नहीं है।

73. जे. आई. के. इंडस्ट्रीज (ऊपर) में निर्णय के बाद, वहाँ

वी. एल. एस. फाइनेंस (ऊपर) में इस न्यायालय की दो अन्य न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय है। दिल्ली उच्च न्यायालय के कंपनी न्यायाधीश ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (7) के तहत अपराध को चक्रवृद्धि करने की अनुमति देने वाले कंपनी विधि बोर्ड के आदेश पर आरोप लगाने वाली एक अपील को खारिज कर दिया था। सी. एम. एम. की अदालत में कंपनी पंजीयक द्वारा एक शिकायत दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हालांकि कंपनी ने कुछ भूमि प्राप्त की थी।

नगर निगम को वार्षिक लाइसेंस शुल्क पर, भूमि को अचल संपत्तियों की अनुसूची में दिखाया गया था, जो एक उचित दृश्य नहीं था और

इसलिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (7) के तहत दंडनीय था। इससे पहले कि अदालत शिकायत के साथ आगे बढ़ सके, सी. एल. बी. के समक्ष परिवर्धन के लिए एक आवेदन दायर किया गया

था। सी. एल. बी. के आदेश के माध्यम से, एक के भुगतान के खिलाफ अपराध को बढ़ाया गया था ठीक है।

74. वर्तमान चर्चा के प्रयोजनों के लिए, यह सामग्री है -

ध्यान दें कि अपराधों के चक्रवृद्धि का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 621-ए में निम्नलिखित शब्दों में निहित थाः

" 621 - ए. कुछ अपराधों की संरचना-(1) इसके बावजूद

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ([2021] 4 एस. सी. आर. का 2) में निहित कुछ भी।

1974) , इस अधिनियम के तहत दंडनीय कोई अपराध (चाहे वह किसी कंपनी या उसके किसी अधिकारी द्वारा किया गया हो), जो अपराध नहीं है।

केवल कारावास या कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय, किसी भी अभियोजन की स्थापना से पहले या बाद में, -

(क) कंपनी विधि बोर्ड; या

((ख) जहां जुर्माने की अधिकतम राशि लगाई जा सकती है।

ऐसे अपराध के लिए पाँच हजार रुपये से अधिक नहीं है,

क्षेत्रीय निदेशक, भुगतान या क्रेडिट पर, कंपनी या अधिकारी द्वारा, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार को बोर्ड या क्षेत्रीय निदेशक , जैसा भी मामला हो, राशि निर्दिष्ट कर सकते हैं:

बशर्ते कि इस प्रकार निर्दिष्ट राशि किसी भी मामले में इससे अधिक नहीं होगी। जुर्माने की अधिकतम राशि जो इसके लिए लगाई जा सकती है

इस प्रकार चक्रवृद्धि अपराध:

बशर्ते कि भुगतान करने के लिए आवश्यक राशि निर्दिष्ट करने में या

इस उप-धारा के तहत अपराध के चक्रवृद्धि के लिए जमा की गई राशि, यदि कोई हो, तो उप-धारा के तहत अतिरिक्त शुल्क के रूप में भुगतान की जाती है। (2) धारा 611 को ध्यान में रखा जाएगा।

धारा 621-ए की उप-धारा (7) निम्नलिखित रूप में प्रदान की गई है:

" (7) दंड संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद

प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2) - (क) कोई भी अपराध जो इस अधिनियम के तहत कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय है, प्रक्रिया के अनुसार अदालत की अनुमति से शमनीय होगा।

अपराधों के चक्रवृद्धि के लिए उस अधिनियम में निर्धारित;

(ख) कोई भी अपराध जो इस अधिनियम के तहत केवल कारावास या कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय है,

कम्पाउंडेबल नहीं होगा "।

75. इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि जब न्यायालय मामले में विचाराधीन था, तो केवल मजिस्ट्रेट ही था जो अपराध को बढ़ा सकता था। इसके अलावा, किसी भी स्थिति में, सी. एल. बी. को समझौता करने से पहले अदालत की अनुमति लेनी पड़ी। इस तर्क पर विचार करते हुए, पीठ की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति सी. के. प्रसाद ने कहाः

कैश गुप्ता बनाम। भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" 17. आम तौर पर, अपराध दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों और समझौते की शक्ति के तहत चक्रवृद्धि होता है।

अदालत को उन अपराधों को छोड़कर अनुमति प्रदान की जाती है जिनके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, गैर-अवरोध खंड को ध्यान में रखते हुए, रचना की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है

न्यायालय या कंपनी विधि बोर्ड। विधायिका ने कंपनी विधि बोर्ड को वही शक्ति प्रदान की जो

अभियोजन की स्थापना से पहले या बाद में अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि आपराधिक न्यायालय को कार्यवाही की स्थापना के समक्ष अपराध की संरचना के लिए अनुमति देने की कोई शक्ति नहीं है। विधायिका ने अपने विवेक से कंपनी विधि बोर्ड द्वारा अपराध का चक्रवृद्धि करने से पहले अदालत की पूर्व अनुमति के अधिकार को नहीं रखा है और यदि अपीलार्थी का तर्क स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह शब्दों को जोड़ने के बराबर होगा।

" अधिनियम में अदालत की पूर्व अनुमति के साथ, जो नहीं है

अनुमति है "।

76. न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सीई के प्रावधानों की व्याख्या करते समय, शब्दों को उनके सामान्य अर्थों में बिना किसी आयन के समझा जाना चाहिए; और उस संदर्भ में उसने कहा:

" 18. जैसा कि अच्छी तरह से तय किया गया है, एक क़ानून के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए,

न्यायालय शब्दों की अस्वीकृति या जोड़ से बचाता है और इसके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केवल असाधारण परिस्थितियों में इसका सहारा लेता है।

कार्य करें या उद्देश्यपूर्ण अर्थ दें। यह भी एक प्रमुख नियम है

व्याख्या कि शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को उनका स्वाभाविक, स्पष्ट और स्पष्ट अर्थ दिया जाना चाहिए। जब भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध हो, तो इसकी व्याख्या सामान्य अर्थों में की जानी चाहिए और

उपयोग किए गए शब्दों या अभिव्यक्तियों का कोई जोड़ या परिवर्तन नहीं है

अनुमति है। जैसा कि पहले देखा गया है, उपरोक्त अधिनियम को अधिनियम के प्रशासन में नरमी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लाया गया था क्योंकि बड़ी संख्या में चूक तकनीकी प्रकृति की होती हैं और कई चूक जटिल प्रकृति के कारण होती हैं। प्रावधान "।

इसलिए, धारा 621 की उप-धारा (1) और (7) के तहत शक्तियों को सीएलबी या सीएलबी द्वारा प्रयोग की जाने वाली समानांतर शक्तियां माना जाता है।

उल्लिखित अधिकार, और न्यायालय की पूर्व अनुमति किसी अपराध को चक्रवृद्धि करने के लिए आवश्यक नहीं थी जब शक्ति का प्रयोग किया गया था

ई सी. एल. बी.

21] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

77. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान ने अपनी दलीलों के दौरान कहा है कि

मीटर एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय। लिमिटेड बनाम कंचन मेहता "(मीटर और

) जहाँ इस न्यायालय ने कहा कि एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत एक अपराध "मुख्य रूप से एक नागरिक गलत है"। यह अभिनिर्धारित किया गया कि एन. आई. अधिनियम का उद्देश्य मुख्य रूप से प्रतिपूरक है, प्रारंभिक चरण में चक्रवृद्धि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लेकिन उचित मुआवजे के अधीन बाद के चरण में प्रतिबंधित नहीं किया जाता है जो पक्षों और न्यायालय को स्वीकार्य हो सकता है। इसके अलावा, पीठ की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति ए. के. गोयल ने कहा कि:

" 18.3 . यद्यपि चक्रवृद्धि के लिए दोनों पक्षों की सहमति की आवश्यकता होती है, ऐसी सहमति के अभाव में भी, न्यायालय, न्याय के हित में, इस बात से संतुष्ट होने पर कि शिकायतकर्ता को विधिवत मुआवजा दिया गया है, अपने विवेक से कार्यवाही को बंद कर सकता है और अभियुक्त "।

78. हमारा ध्यान फैसले की ओर खींचा गया है

पुनः में संविधान पीठः 2020 की सुओ मोटू रिट याचिका (सी. आर. एल.) संख्या 2 में परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 136 के तहत मामलों का त्वरित परीक्षण। संविधान पीठ ने मीटर एंड इंस्ट्रूमेंट्स (उपरोक्त) में निर्णय पर विचार किया, जहां न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने यह विचार व्यक्त किया कि एन. आई. अधिनियम की धारा 143 मजिस्ट्रेट को अभियुक्त को आरोपमुक्त करने की एक निहित शक्ति प्रदान करती है यदि शिकायतकर्ता को अदालत की संतुष्टि के लिए मुआवजा दिया जाता है। उस सादृश्य पर, यह अभिनिर्धारित किया गया कि पक्षकारों की सहमति से संयोजन के अलावा, विचारण न्यायालय को अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए धारा 143 के तहत अधिकार क्षेत्र आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र है। संविधान पीठ ने मीटर एंड इंस्ट्रूमेंट्स (उपरोक्त) में विचार से असहमत होते हुए कहाः

मजिस्ट्रेट को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए किसी भी स्तर पर कार्यवाही को रोकने और निर्णय देने का अधिकार देता है शिकायत के अलावा अन्यथा स्थापित किसी समन मामले में बरी करने का। संहिता की धारा 258 शिकायत पर शुरू किए गए समन मामले पर लागू नहीं होती है। इसलिए, धारा 138 के तहत भागे गए शिकायतों के संबंध में धारा 258 लागू नहीं हो सकती है।

अधिनियम। मीटरों में इस न्यायालय का निर्णय और

सुरक्षा और विनिमय बोर्ड

भारत का [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़,

जे.]

धारा 143 में "जहाँ तक हो सके" शब्दों से लिया गया है अधिनियम अनुचित है। "जहाँ तक हो सके" शब्द

धारा 143 का उपयोग केवल इसकी प्रयोज्यता के संबंध में किया जाता है -

संहिता की धारा 262 से 265 और सारांश अध्याय XVII के तहत परीक्षणों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।

कुछ शब्दों को पढ़कर अदालत को शक्ति प्रदान करना

प्रावधानों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। न्यायाधीश को फिर से नहीं लिखना चाहिए।

एक कानून, न तो इसे बढ़ाने के लिए और न ही अनुबंध करने के लिए। जो भी हो।

निष्कासन। उसे सृष्टि के माध्यम से नहीं पढ़ना चाहिए [जे। फ्रैंकफर्टर, "ऑफ लॉ एंड मेन: फेलिक्स के कागजात और पते

फ्रैंकफर्टर "]। न्यायाधीश का कर्तव्य कानून की व्याख्या करना और उसे लागू करना है।

[डुपॉन्ट स्टील्स लिमिटेड बनाम सर (1980) 1 ऑल ई. आर. 529 (एच. एल.)]। अदालत ने किसी कानून में ऐसे शब्द नहीं जोड़ सकते हैं या उसमें ऐसे शब्द नहीं पढ़ सकते हैं जो नहीं हैं

वहाँ [भारत संघ बनाम। देउकी नंदन अग्रवाल 1992 सप्लीमेंट (1)

एससीसी 323] "।

जोर दिया गया

79. इस पहलू पर चर्चा से पहले, यह आवश्यक है

हमारे लिए एन. एच. प्रतिभूति लिमिटेड बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख करने के लिए 2 1

जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 24 ए के तहत चक्रवृद्धि के आवेदन की अनुमति देने से पहले एस. ई. बी. आई. की सहमति आवश्यक थी। ए.

इस फैसले को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका इससे पहले दायर की गई थी। न्यायालय 22. इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने 17 सितंबर 2019 के एक आदेश के माध्यम से इसका निपटारा किया, जिसमें एस. ई. बी. आई.

21 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 4040 22 2019 की आपराधिक अपील संख्या 1407 (एस. एल. पी. से उद्भूत) (आपराधिक) 2019 का No.1132)

21] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस न्यायालय के आदेश ने वर्तमान में शामिल मुद्दे पर निर्णय नहीं दिया है।

मामला।

80. एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 24 ए एक गैर-अबाधित प्रावधान के साथ शुरू होती है जो सी. आर. पी. सी. में कुछ भी निहित होने के बावजूद संचालित होती है।

आई. पी. सी. की धारा 320 की उप-धारा (1) और (2) आई. पी. सी. के तहत अपराधों के चक्रवृद्धि से संबंधित है, जबकि उप-धारा (9) में कहा गया है कि धारा में दिए गए प्रावधानों के अलावा किसी भी अपराध का चक्रवृद्धि नहीं किया जाएगा। हालाँकि, धारा 320 की उप-धारा (9) में निहित शर्त का प्रभाव धारा 24 ए में निहित एक विशिष्ट गैर-बाधा प्रावधान के आधार पर एस. ई. बी. आई. अधिनियम के तहत अपराधों के चक्रवृद्धि के संबंध में उस विधान के तहत दंडनीय अपराधों द्वारा चक्रवृद्धि का प्रावधान करने के लिए समाप्त हो जाता है। धारा 24 ए, एक अबाधित प्रावधान को शामिल करके इस आशय के विधायी इरादे को इंगित करती है कि एस. ई. बी. आई. अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों को चक्रवृद्धि करने की शक्ति को सी. आर. पी. सी. की धारा 320 के प्रावधानों द्वारा कुचला नहीं जाता है।

81. इस स्तर पर, एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 24 ए के तत्वों को चित्रित किया जाना चाहिए। धारा 24 ए में पाँच तत्व शामिल हैं जब यह निर्दिष्ट करता है:

((i)

अपराध जिनका चक्रवृद्धि किया जा सकता है ("कोई भी अपराध")

इस अधिनियम में दंडनीय ");

((ख)

वे अपवाद जिन्हें वैधानिक प्रावधान में शामिल किया गया है

(" केवल कारावास से दंडनीय अपराध नहीं होना

या कारावास और जुर्माने के साथ भी ");

(111) वह चरण जिस पर चक्रवृद्धि हो सकती है ("किसी भी कार्यवाही की स्थापना से पहले या बाद में");
((iv) वह मंच जिसके समक्ष चक्रवृद्धि अधिनियम होता है (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण या वह न्यायालय जिसके समक्ष

ऐसी कार्यवाहियां लंबित हैं) और

(v)

एस. ए. टी. को चक्रवृद्धि करने की शक्ति सौंपना या अदालत।

82. एस. ए. टी. या न्यायालय को एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 24 ए के तहत चक्रवृद्धि अपराधों की विशेष शक्ति सौंपने से पहले

जिसे ऐसी कार्यवाही लंबित है, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा "चक्रवृद्धि की जाए" अभिव्यक्ति द्वारा स्पष्ट किया जाता है जिसके समक्ष इस तरह की कार्यवाही लंबित है। इस प्रकार धारा 24 ए में उन तौर-तरीकों से विचलन शामिल है जो प्रकाश गुप्ता v की उप-धारा (1) और (2) में निर्धारित हैं।

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320। सी. आर. पी. सी. की धारा 320, जैसा कि हमने पहले देखा है, आई. पी. सी. के तहत केवल कुछ निर्दिष्ट अपराधों के चक्रवृद्धि की अनुमति देती है। धारा 320 में आई. पी. सी. के तहत दंडनीय अपराधों के बीच दो गुना अंतर है जिसे बढ़ाया जा सकता है: ((i) इसके बिना

न्यायालय की अनुमति; और (ii) न्यायालय की अनुमति के साथ। इसके विपरीत, धारा 24 ए के तहत चक्रवृद्धि की शक्ति एस. ई. बी. आई. अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों तक ही सीमित है। शक्ति पूरी तरह से एस. ए. टी. या न्यायालय को सौंपी गई है, जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है। इसलिए, धारा 24 ए में निहित गैर-अवरोधक प्रावधान को इसका स्वाभाविक अर्थ दिया जाना चाहिए।

और प्रभाव। 83. धारा 24 ए की सरल भाषा में एस. ई. बी. आई. की सहमति का प्रावधान नहीं है। मुद्दा यह है कि क्या इस न्यायालय को पढ़ना चाहिए

प्रावधान में एस. ई. बी. आई. की सहमति की आवश्यकता, इस आधार पर कि यह एक आकस्मिक चूक है। हालाँकि, यह ऐसी भाषा को लागू करके वैधानिक प्रावधान को फिर से लिखने के बराबर होगा जो अभी तक लागू नहीं की गई है।

विधायिका द्वारा नियोजित। भारत संघ बनाम राजीव कुमार 23 में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में, न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा:

" 22. किसी प्रावधान की व्याख्या करते समय, न्यायालय केवल कानून की व्याख्या करता है और इसे कानून नहीं बना सकता है। यदि कानून के किसी प्रावधान का दुरुपयोग किया जाता है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाता है, तो यदि आवश्यक समझा जाए तो इसे संशोधित करना, संशोधित करना या निरस्त करना विधायिका का काम है। (सी. एस. टी. वी. देखें। लोकप्रिय व्यापार कंपनी [(2000) 5 एस. सी. सी. 511]) विधायी मामला

अवज्ञा न्यायिक व्याख्यात्मक द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है

प्रक्रिया।

23. निर्माण के दो सिद्धांत-एक केसस ओमिसस से संबंधित और दूसरा समग्र रूप से क़ानून/वैधानिक प्रावधान को पढ़ने के संबंध में-अच्छी तरह से तय किए गए प्रतीत होते हैं। पहले सिद्धांत के तहत अदालत द्वारा स्पष्ट आवश्यकता के मामले में और जब इसका कारण क़ानून के चारों कोनों में ही पाया जाता है, उसके अलावा किसी मामले में छूट की आपूर्ति नहीं की जा सकती है। लेकिन, साथ ही एक मामले में चूक का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए और उस उद्देश्य के लिए एक क़ानून या धारा के सभी भागों का एक साथ अर्थ लगाया जाना चाहिए और एक धारा के प्रत्येक खंड का अर्थ संदर्भ और उसके अन्य खंडों के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए ताकि किसी विशेष प्रावधान पर रखा जाने वाला निर्माण समग्र रूप से एक सुसंगत अधिनियम बना सके।

कानून। यह अधिक होगा यदि एक का शाब्दिक निर्माण

विशेष खंड स्पष्ट रूप से बेतुका या विसंगत की ओर ले जाता है

जिन परिणामों का इरादा नहीं हो सकता था

विधायिका "।

जोर दिया गया

84. वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि धारा 24 ए में ऐसा नहीं है

यह निर्धारित करें कि एस. ए. टी. या उस न्यायालय के लिए एस. ई. बी. आई. की सहमति आवश्यक है जिसके समक्ष ऐसी कार्यवाही किसी अपराध को चक्रवृद्धि करने के लिए लंबित है। जहां संसद का इरादा था कि एस. ई. बी. आई. की सिफारिश आवश्यक है, इसने उसी कानून में उस संबंध में विशिष्ट प्रावधान किए हैं। धारा 24 बी एक उपयोगी विरोधाभास प्रदान करती है। धारा 24 बी (1) केंद्र सरकार को एस. ई. बी. आई. की सिफारिश पर अधिकार देती है, यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि जिस व्यक्ति ने अधिनियम या नियमों या विनियमों का उल्लंघन किया है, उसने कथित उल्लंघन के संबंध में पूर्ण और सही खुलासा किया है।

अपराध के लिए अभियोजन से प्रतिरक्षा ऐसी शर्तों के अधीन है जो वह लागू कर सकती है। दूसरा परंतुक स्पष्ट करता है कि

एस. ई. बी. आई. केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, धारा 24 बी ने केंद्र सरकार द्वारा एस. ई. बी. आई. की सिफारिश पर अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए शक्तियों के प्रयोग का प्रावधान किया है। इसके विपरीत, धारा 24 ए एस. ए. टी. के समक्ष एस. ई. बी. आई. की सहमति के संबंध में स्पष्ट रूप से मौन है या, जैसा भी मामला हो, जिस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही लंबित है, वह शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि धारा 24 ए के तहत चक्रवृद्धि की शक्ति का प्रयोग करने के लिए एस. ए. टी. या उस न्यायालय के समक्ष, जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है, एस. ई. बी. आई. की सहमति अनिवार्य नहीं हो सकती है।

85. हालाँकि, यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि कार्यवाही

एस. ई. बी. आई. अधिनियम के तहत अपराधों का मुकदमा एक शिकायत पर शुरू किया जाता है एस. ई. बी. आई. अधिनियम की धारा 26 के आधार पर एस. ई. बी. आई. द्वारा किया गया। एस. ई. बी. आई. एक

कानून के तहत नियामक और अभियोजन एजेंसी। इसलिए, जबकि वैधानिक प्रावधान धारा 24 ए के प्रावधानों के तहत वीटो की प्रकृति में एक प्राधिकरण के साथ एस. ई. बी. आई. को सौंपते नहीं हैं, इसकी भूमिका और स्थिति के महत्व को समझना भी उतना ही आवश्यक है।

ई. 5 एस. ई. बी. आई. की नियामक भूमिका

86. एस. ई. बी. आई. अधिनियम के प्रावधान, जैसा कि इसमें पहले विश्लेषण किया गया है।

निर्णय, उस भूमिका के महत्व को इंगित करेगा जिसे एक नियामक, न्यायनिर्णायक और अभियोजन एजेंसी के रूप में जिम्मेदार ठहराया गया है। एक व्यवस्थित प्रकाश गुप्ता v बनाए रखने के संदर्भ में निष्पादन करने के लिए SEBI के पास महत्वपूर्ण कार्य हैं।

और स्थिर प्रतिभूतियों का बाजार ताकि निवेशकों के हितों की रक्षा की जा सके। एस. ई. बी. आई. की स्थापना 1988 में एक सरकारी प्रस्ताव द्वारा की गई थी, ताकि पूंजी बाजारों के तेजी से विकास का तत्काल जवाब दिया जा सके। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एस. ई. बी. आई. 2 4 में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने वैधानिक प्रावधानों पर अपने व्याख्यात्मक अभ्यास का मार्गदर्शन करने के लिए इस इतिहास पर विचार किया। न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने अपनी सहमति में कहा कि:

" 298. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की स्थापना 1988 में प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित और स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने के लिए एक सरकारी प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी।

निवेशकों की सुरक्षा। विशेष रूप से जनता की बढ़ती भागीदारी की विशेषता वाले पूंजी बाजार के जबरदस्त विकास के कारण, पूंजी बाजार में विश्वास बनाए रखने के लिए निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक माना गया। तदनुसार, एस. ई. बी. आई. को वैधानिक शक्तियां प्रदान करने का निर्णय लिया गया, ताकि पूंजी बाजार से संबंधित सभी मामलों से प्रभावी ढंग से निपटना।

न्यायमूर्ति खेहर ने 2002 के संशोधन अधिनियम के औचित्य को भी दोहराया, जिसका हमारे वर्तमान दृढ़ संकल्प पर इस हद तक प्रभाव पड़ेगा कि इसने धारा 24 के तहत लगाए जा सकने वाले कारावास और मौद्रिक दंड की मात्रा को बढ़ा दिया। न्यायालय ने कहा:

" 300. 1999 में एस. ई. बी. आई. अधिनियम में फिर से संशोधन किया गया था, लेकिन जहां तक वर्तमान विवाद का संबंध है, एस. ई. बी. आई. में संशोधन किया गया।

2002 का अधिनियम अत्यंत प्रासंगिक है। उद्देश्यों के विवरण और एस. ई. बी. आई. के संशोधन के कारणों का प्रासंगिक भाग

2002 के अधिनियम को नीचे दोहराया जा रहा है:

" 2. हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के कानूनी प्रावधानों में कई कमियां देखी गई हैं, विशेष रूप से निरीक्षण, जांच और प्रवर्तन के संबंध में। वर्तमान में, एस. ई. बी. आई. सूचना के लिए कॉल कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है, स्टॉक एक्सचेंजों, म्यूचुअल फंडों, मध्यस्थों की पूछताछ और ऑडिट कर सकता है, निर्देश जारी कर सकता है, अभियोजन शुरू कर सकता है, निलंबन या पंजीकरण को रद्द करने का आदेश दे सकता है। अधिनियम या नियमों या विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में भी दंड लगाया जा सकता है। हालाँकि, एस. ई. बी. आई. के पास प्रतिभूतियों को जारी करने या किसी के द्वारा धन या परिसंपत्तियों की हेराफेरी को रोकने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

कंपनी। जबकि एस. ई. बी. आई. जानकारी के लिए कॉल कर सकता है

उसकी अभिरक्षा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 में निहित मौजूदा प्रावधानों के तहत, एस. ई. बी. आई. गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए आयोग जारी नहीं कर सकता है। इसके अलावा, एस. ई. बी. आई. ने बताया है कि मौजूदा दंड बहुत कम हैं और प्रभावी नहीं हैं। अवरोधक। वर्तमान में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209-ए के तहत, एस. ई. बी. आई. केवल धाराओं में निहित प्रावधानों के उल्लंघन के लिए सूचीबद्ध कंपनियों का निरीक्षण कर सकता है।

उस अधिनियम की धारा 55-ए में निर्दिष्ट है, लेकिन यह किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी का निरीक्षण नहीं कर सकता है जो एस. ई. बी. आई. अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों का उल्लंघन करती है।

5. अब अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विशेषताओं के साथ एक विधेयक द्वारा अध्यादेश को बदलने का प्रस्ताव है। (क) एस. ई. बी. आई. के सदस्यों की संख्या छह से बढ़ाना

(सभापति सहित) से लेकर नौ (सभापति सहित) तक;

(ख) बोर्ड को शक्ति प्रदान करना

(i) किसी भी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित या गठित किसी भी बैंक या अन्य प्राधिकरण या बोर्ड या निगम से प्रतिभूतियों में किसी भी लेनदेन के संबंध में जानकारी और रिकॉर्ड के लिए कॉल करना जो जांच या जांच के अधीन हैं।

बोर्ड द्वारा; ASH GUPTA v.

सुरक्षा और विनिमय बोर्ड भारत [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

((ii) निवेशकों या प्रतिभूति बाजार के हित में लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए आदेश पारित करना, या तो लंबित है। निम्नलिखित में से कोई भी उपाय करने के लिए जांच या जांच या ऐसी जांच या जांच पूरी होने पर, अर्थात् -

को

(ए) किसी मान्यता प्राप्त प्रतिभूति में किसी भी प्रतिभूति के व्यापार को निलंबित करें।

स्टॉक एक्सचेंज;

प्रतिभूतियों को खरीदना, बेचना या सौदा करना;
(ग) किसी भी स्टॉक एक्सचेंज या स्व-नियामक संगठन के किसी भी पदाधिकारी को इस तरह के पद पर रहने से निलंबित कर देगा।

((घ) संबंधित आय या प्रतिभूतियों को जब्त और बनाए रखना।

किसी ऐसे लेन-देन की, जिसकी जाँच की जा रही हो;

इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में शामिल किसी भी तरीके से किसी भी मध्यस्थ या प्रतिभूति बाजार से जुड़े किसी भी व्यक्ति के एक या अधिक बैंक खाते या खातों को एक महीने से अधिक की अवधि के लिए अधिकार क्षेत्र रखने वाले;
(च) किसी भी मध्यस्थ या प्रतिभूति बाजार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से निपटान या निपटान नहीं करने का निर्देश देना।

किसी भी लेन-देन का हिस्सा बनने वाली संपत्ति को अलग करना जो है

जाँच के अधीन;

(iii) निवेशकों की सुरक्षा के लिए विनियमन या निषेध करना, विवरण पत्रिका जारी करना, दस्तावेज़ या विज्ञापन का अनुरोध करना।

प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए धन;

और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पूर्व अनुमोदन के साथ जांच के उद्देश्यों के लिए आवश्यक मानी जाने वाली पुस्तकों, रजिस्टरों, अन्य दस्तावेजों और अभिलेखों को जब्त करना। (v) एक आदेश पारित करना जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिसने SEBI अधिनियम या किसी नियम [2021] 4 एस. सी. आर. के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है या जिसका उल्लंघन करने की संभावना है।

या इसके तहत बनाए गए विनियमों को रोकने और रोकने के लिए

इस तरह के उल्लंघन का कारण बनने वाला कोई भी कार्य करना;

(सी) जोड़-तोड़ और भ्रामक उपकरणों को प्रतिबंधित करना, अंदरूनी सूत्र

व्यापार, धोखाधड़ी और हेरफेर व्यापार प्रथाएं, बाजार

प्रतिभूतियों का हेरफेर और पर्याप्त अधिग्रहण और

नियंत्रण;

(घ) दंड के माध्यम से प्राप्त राशि को जमा करना

भारत की समेकित निधि;

(ङ) प्रतिभूति अपीलीय की संरचना में संशोधन करना। एक व्यक्ति से तीन व्यक्तियों तक न्यायाधिकरण;

(च) पीठासीन के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताओं में परिवर्तन

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के अधिकारी और सदस्य;

(छ) प्रतिभूतियों द्वारा कुछ अपराधों की संरचना अपीलीय न्यायाधिकरण;

(ज) केंद्र सरकार को अनुदान देने की शक्ति प्रदान करना।

प्रतिरक्षा;

(i) के आदेशों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण;

(जे) एस. ई. बी. आई. अधिनियम में निर्दिष्ट दंड को बढ़ाना।

(जोर दिया गया)

87. इसलिए, एस. ई. बी. आई. अधिनियम और नियम, विनियम और परिपत्र

कानून के तहत बनाए गए या जारी किए गए, प्रतिभूति बाजार में व्यवस्था को लागू करने और निवेशक धन की रक्षा करते हुए इसके स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने के एक ठोस उद्देश्य के साथ लगातार विकसित हो रहे हैं। तीन न्यायाधीशों की पीठ इस न्यायालय ने बी. एस. ई. ब्रोकर्स फोरम बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 25 में उन शक्तियों और कार्यों की सराहना की जिन्हें एस. ई. बी. आई. को सौंपा गया था और कहा था:

" 17 ..... विचाराधीन अधिनियम प्रतिष्ठान के लिए प्रावधान करने वाला एक अधिनियम है प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए और

प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना और उसे विनियमित करना।

और उससे जुड़े या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए। द.

अधिनियम बोर्ड की शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करता है जो अनिवार्य करते हैं। कि बोर्ड का कर्तव्य होगा कि वह हितों की रक्षा करे

25 (2001) 3 एस. सी. सी. 482 कैश गुप्ता बनाम

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

प्रतिभूतियों में निवेशक और विकास को बढ़ावा देना, और

प्रतिभूति बाजार को ऐसे उपायों द्वारा विनियमित करना जो वह उचित समझता है। उक्त खंड की उप-धारा (2) उन विभिन्न क्षेत्रों की गणना करती है जिनमें बोर्ड को इन प्रावधानों को पूरा करने के लिए उपाय करने के लिए अनिवार्य किया गया है।

अधिनियम के उद्देश्य। इनमें ऐसे उपाय शामिल हैं जैसे (i) स्टॉक एक्सचेंजों और किसी अन्य प्रतिभूति बाजार में व्यवसाय को विनियमित करना; (ii) स्टॉक ब्रोकरों के कामकाज को पंजीकृत और विनियमित करना और

अन्य मध्यस्थ; (iii) डिपॉजिटरी आदि के कामकाज को पंजीकृत और विनियमित करना। ; (iv) उद्यम पूंजी निधियों और सामूहिक निवेश योजनाओं के कामकाज को पंजीकृत और विनियमित करना,

म्यूचुअल फंड सहित; (v) स्व-नियामक संगठनों को बढ़ावा देना और विनियमित करना; (vi) प्रतिभूति बाजारों से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं को प्रतिबंधित करना; (vii) निवेशकों की शिक्षा और बिचौलियों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देना; (viii) प्रतिभूतियों में अंदरूनी व्यापार को प्रतिबंधित करना; (ix) शेयरों के पर्याप्त अधिग्रहण और कंपनियों के अधिग्रहण को विनियमित करना; (x) सूचना का संग्रह, निरीक्षण, स्टॉक एक्सचेंजों, म्यूचुअल फंडों, प्रतिभूति बाजार से जुड़े अन्य व्यक्तियों और अन्य बिचौलियों और स्व-नियामक संगठनों की जांच और ऑडिट करना; (xii) प्रतिभूति बाजार में ऐसे अन्य कार्य करना जो केंद्र सरकार द्वारा उसे सौंपे गए हैं; (xii) उपरोक्त उद्देश्यों के लिए अनुसंधान करना; (xiiii) आवश्यक प्रावधान करना।

प्रतिभूति बाजार आदि के साथ संगठनों के कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए जानकारी। उक्त बोर्ड भी है

खोज, उत्पादन के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल न्यायालयों की कुछ शक्तियों के साथ निहित,

व्यक्तियों को बुलाना और उनकी उपस्थिति को लागू करना और पुस्तकों, रजिस्टरों आदि का निरीक्षण करना। अधिनियम की धारा 11 (2) (के) बोर्ड को उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुल्क या अन्य शुल्क लगाने का अधिकार देती है।

इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार बोर्ड से पंजीकरण का प्रमाण पत्र। धारा 12 (2) बोर्ड को ऐसे शुल्क एकत्र करने का अधिकार देती है जो विनियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। उन आवेदकों से जो पंजीकरण चाहते हैं। "[2021] 4 एस. सी. आर.

88. पूर्ववर्ती की एक सुसंगत पंक्ति में, यह न्यायालय सार्वजनिक हित के प्रति सचेत रहा है जो एस. ई. बी. आई. के कामकाज का मार्गदर्शन करता है और एस. ई. बी. आई. 26 के कार्यों पर अपने विवेक को प्रतिस्थापित करने से परहेज किया है। इसकी व्यापक नियामक और न्यायिक शक्तियां, इसकी विशेषज्ञता और सूचना एकत्र करने के तंत्र के साथ मिलकर, इसके निर्णयों को कुछ हद तक विश्वसनीयता के साथ छापती हैं। एस. ए. टी. और न्यायालय की शक्तियों को अनिवार्य रूप से एस. ई. बी. आई. के व्यापक अस्तित्वगत उद्देश्य के साथ संरेखित करना होगा। इस अदालत की दो न्यायाधीशों की पीठ ने 'एस. ई. बी. आई. बनाम किशोर आर. अजमेरा' मामले में यह बात दोहराई थी। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ के माध्यम से बोलते समय यह माना गया:

" 25. एस. ई. बी. आई. अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियम इस प्रकार हैं - प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करने का इरादा है जिसमें समानांतर के अनुरूप पर्याप्त वृद्धि देखी गई है

अर्थव्यवस्था में विकास। पूँजी में निवेशकों का विश्वास /

पूंजी बाजार में निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए अस्वीकार्य आचरण। वैधानिक व्यवस्था का प्राथमिक उद्देश्य अधिनियम
प्रतिभूति बाजार में बढ़ती भागीदारी और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए है जो महत्वपूर्ण है।

अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास के लिए। इसलिए, एस. ई. बी. आई. अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों को उपरोक्त प्रकाश में समझना और व्याख्या करनी होगी।

इसी तरह, प्रतिभूतियों में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ और

भारतीय विनिमय बोर्ड बनाम अजय अग्रवाल 28, का निर्धारण करते हुए

व्यक्तियों को प्रतिभूति बाजार तक पहुँचने से रोकने के लिए धारा 11 (बी) के तहत नियामक निकाय की शक्तियों का दायरा,

विधान की विशेष प्रकृति और न्यायालयों से अपनी व्याख्यात्मक भूमिका का प्रयोग इस तरह से करने का आग्रह किया जो एस. ई. बी. आई. के वैधानिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है। अदालत ने न्यायमूर्ति ए. के. गांगुली के माध्यम से बोलते हुए कहा:

" 33. यदि हम उक्त अधिनियम को लागू करने के लिए विधायी इरादे को देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि इसे दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लागू किया गया था

26 जी एल सुल्तानिया बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, (2007) 5 एस. सी. सी. 133,

पैरा

84 ; पी. जी. एफ. लिमिटेड बनाम भारत संघ, (2015) 13 एस. सी. सी. 50, पैरा 46-58; एस. ई. बी. आई. बनाम अक्षय इन्फ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड, (2014) 11 एस. सी. सी. 112; एस. ई. बी. आई. बनाम सैकला एसोसिएट्स लिमिटेड, (2009) 7 एस. सी. सी. 432, पैरा 16

27 (2016) 6 एस. सी. सी. 368

28 (2010) 3 एस. सी. सी. 765 प्रकाश गुप्ता बनाम।

जे.]

भारत का [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़,

प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित और स्वस्थ विकास को बढ़ावा देना और

निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए। निवेशकों की भागीदारी बढ़ाकर पूंजी बाजार में पर्याप्त वृद्धि को देखते हुए इस तरह के अधिनियम की आवश्यकता महसूस की गई। में।

34. यह अधिनियम पहले से ही एक सामाजिक कल्याण कानून है जो आम लोगों के हितों की रक्षा करने का प्रयास करता है जो छोटे हैं। निवेशक। यह निर्माण का एक सर्वविदित सिद्धांत है कि जब अदालत को किसी समाज कल्याण कानून के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है तो अदालत का सर्वोच्च कर्तव्य इस तरह के कानून को अपनाना होता है।

कानून के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए और यदि संभव हो तो व्याख्या

उसे छोड़ दो जो उसे परेशान करता है। "

इसलिए, एस. ई. बी. आई. अधिनियम के उद्देश्य और इस न्यायालय के उदाहरणों के अनुरूप, यह हमारा कार्य होगा कि धारा 24 ए की व्याख्या इस तरह से की जाए जो एस. ई. बी. आई. की वैधानिक भूमिका को आगे बढ़ाती है, न कि जो उसके सुविचारित कार्रवाई को विफल करती है।

89. धारा 24 (1) अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन (या प्रयास या उकसाने) के लिए दंडनीय सभी अपराधों के लिए एक सर्वव्यापी प्रावधान है।

इस संशोधन के लिए, जैसा कि इसके उद्देश्यों और कारणों के कथन से स्पष्ट होता है, संभावित गलत करने वालों के लिए एक प्रभावी निवारक प्रदान करना था। धारा 24 की उप-धारा (1) के तहत दंडनीय अपराधों में अपराध से लेकर गंभीर तक कई प्रकार के उल्लंघन शामिल होंगे। शक्ति का समर्पण किसी भी कार्यवाही की स्थापना से पहले या बाद में एस. ए. टी. या उस न्यायालय में चक्रवृद्धि अपराधों के लिए, जिसके समक्ष ऐसी कार्यवाही लंबित है। धारा 24 ए के प्रावधानों को एस. ई. बी. आई. की स्थिति में निहित उद्देश्य और उद्देश्य के अनुरूप तरीके से पढ़ा जाना चाहिए।

एक विशेषज्ञ नियामक के रूप में। नियामक के रूप में एस. ई. बी. आई. को विभिन्न कार्य सौंपे गए हैं। प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने, विनियम बनाने और अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की शक्ति सहित भूमिकाएं और कार्य।

वैधानिक प्रावधानों के एक समूह में मान्यता दी गई है। अभियोजन शुरू करने से स्वतंत्र, एस. ई. बी. आई. को व्यापक स्तर पर कार्य सौंपा गया है।

जांच करने, निर्देश जारी करने और दंड लगाने और संघर्ष विराम आदेश देने की शक्ति सहित शक्तियाँ और कार्य।

90. जबकि क़ानून ने चक्रवृद्धि की शक्तियाँ सौंपी हैं

एस. ए. टी. या न्यायालय के प्रति अपराध, जैसा भी मामला हो, जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है, एस. ए. टी. और न्यायालय द्वारा एक विशेषज्ञ नियामक के रूप में एस. ई. बी. आई. के दृष्टिकोण को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए, और वे कुछ हद तक सम्मान के हकदार होंगे। जबकि एस. ई. बी. आई. के पास वीटो नहीं है, धारा 24 ए की भाषा को ध्यान में रखते हुए, उसके विचारों को प्राप्त किया जाना चाहिए।

20 अप्रैल 2007 के एस. ई. बी. आई. के परिपत्र के साथ एफ. ए. क्यू. में परिकल्पित एस. ई. बी. आई. का दृष्टिकोण, निस्संदेह एस. ए. टी. या न्यायालय द्वारा यह तय करने के लिए मांगा जाना चाहिए कि क्या किसी अपराध को चक्रवृद्धि किया जाना चाहिए। एस. ई. बी. आई. अपराध की प्रकृति और गंभीरता और निवेशकों की सुरक्षा और प्रतिभूतियों के बाजार की स्थिरता पर इसके प्रभाव पर एक विशेषज्ञ दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। ये विचार और अन्य जो एस. ए. टी. या न्यायालय के समक्ष एस. ई. बी. आई. रख सकता है, यह निर्धारित करने में प्रासंगिक होंगे कि क्या चक्रवृद्धि के लिए आवेदन किया जाना चाहिए। अनुमति दी गई। इसलिए, हमारा मानना है कि धारा 24 (1) के तहत दंडनीय अपराध को चक्रवृद्धि करने के बारे में निर्णय लेने से पहले, एस. ए. टी. या न्यायालय को अपने अंतिम निर्णय के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एस. ई. बी. आई. के विचार प्राप्त करने चाहिए। इन विचारों को, जब तक कि स्पष्ट रूप से मनमाना या दुर्भावनापूर्ण न हो, उच्च स्तर का सम्मान दिया जाना चाहिए। अदालत को सावधान रहना चाहिए

धारा 15, लेकिन इसमें धारा 24 के तहत एक सामान्य सजा का प्रावधान शामिल है। इसलिए, धारा 24 के लिए सजा का प्रावधान होगा अधिकांश मामूली अपराध, बाजार में व्यवधान और धोखाधड़ी के सबसे गंभीर अपराध। प्रभावी निवारण सुनिश्चित करने के लिए 2002 के संशोधन अधिनियम 59 द्वारा धारा 24 के तहत निर्धारित अधिकतम सजा में भी संशोधन और वृद्धि देखी गई है। की शक्ति का प्रयोग करते हुए

धारा 24 ए के तहत एस. ए. टी. या न्यायालय को सचेत होना चाहिए। उन अपराधों की गंभीरता के बारे में जिनके लिए अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया जा रहा है, यह देखते हुए कि विधायी योजना व्यक्तिगत रूप से अलग सजा के प्रावधान निर्धारित नहीं करती है जो अन्यथा प्रदान की जाती

अपराधों की गंभीरता और श्रेणीकरण में अंतर्दृष्टि। अतः, SEBI का I GUPTA v.

सुरक्षा और विनिमय बोर्ड डाय [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]चक्रवृद्धि और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी, इसमें

धारा 24 ए के तहत चक्रवृद्धि के लिए विवरण

अधिनियम 24 ए केवल एस. ए. टी. या न्यायालय को प्रदान करता है जिसके समक्ष अपराधों को बढ़ाने की शक्ति लंबित है, किसी भी दिशानिर्देश का समर्थन करते हुए कि यह कब होना चाहिए। इसलिए, कुछ दिशानिर्देशों को स्पष्ट करना आवश्यक है जो एसएटी या

आवेदन पर निर्णय लेते समय ध्यान रखना चाहिए

24 ए पर:

उन्हें एस. ई. बी. आई. में उल्लिखित कारकों पर विचार करना चाहिए।

20 अप्रैल 2007 का परिपत्र और उसके साथ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न,

यह तय करते समय कि सहमति आदेश के लिए आवेदन की अनुमति दी जाए या चक्रवृद्धि के लिए आवेदन। ये कारक, जो संपूर्ण नहीं हैं, ये हैं:

" निम्नलिखित कारक, जो केवल सूचक हैं, को पारित करने के उद्देश्य से ध्यान में रखा जा सकता है।

सहमति आदेश और संबंधित क़ानून के तहत अपराधों के चक्रवृद्धि के संदर्भ में:

1. क्या उल्लंघन जानबूझकर किया गया है।

2. जांच और पूर्ण तथ्यों के प्रकटीकरण में पक्ष का आचरण। 3. आरोप की गंभीरता अर्थात धोखाधड़ी, बाजार में हेरफेर या अंदरूनी व्यापार जैसे आरोप।

4. गैर-अनुपालन का इतिहास। अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड

उल्लङ्घनकर्ता अर्थात उसे इसी तरह का दोषी नहीं पाया गया था या

अतीत में गंभीर उल्लंघन।

5. क्या ऐसी परिस्थितियाँ थीं जो पार्टी के नियंत्रण से बाहर थीं।

6. उल्लंघन तकनीकी और/या मामूली प्रकृति का है और

क्या उल्लंघन के लिए दंड की आवश्यकता है।

7. निवेशकों के नुकसान की राशि पर विचार करना या

पार्टी का लाभ।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

8. प्रक्रियाएँ जो तब से शुरू की गई हैं

भविष्य के उल्लंघनों/खामियों को कम करने के लिए उल्लंघन। 9. पार्टी द्वारा प्रस्तावित अनुपालन अनुसूची।

10. विलंब से किसी पक्ष को होने वाले आर्थिक लाभ

या अनुपालन से बचें।

11. भविष्य को रोकने के लिए आवश्यक स्थितियाँ

उसी या किसी अन्य पक्ष द्वारा अनुपालन।

12. भुगतान के संबंध में निवेशकों के दावे की संतुष्टि

उनके देय धन का या उन्हें प्रतिभूतियों का वितरण।

13. द्वारा नागरिक प्रवर्तन कार्रवाई का अनुपालन

अभियुक्त।

14. पार्टी किसी अन्य नियामक से गुजरी है।

एक ही उल्लंघन के लिए प्रवर्तन कार्रवाई।

15. तथ्यों में आवश्यक कोई अन्य कारक और

मामले की परिस्थितियाँ "।

20 अप्रैल 2007 के परिपत्र और उसके साथ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुसार, एक आरोपी ने अपनी याचिका दायर करते समय

चक्रवृद्धि के लिए आवेदन को भी एस. ई. बी. आई. को एक प्रति जमा करनी होती है, ताकि इसे एच. पी. ए. सी. के समक्ष रखा जा सके। द.

ऊपर उल्लिखित, एच. पी. ए. सी. और एस. ई. बी. आई. की राय गैर-अभियोजन के प्रभाव पर उनकी स्थिति को इंगित करती है बाजार संरचनाओं की रखरखाव क्षमता। इसलिए, एस. ए. टी. या न्यायालय के पास प्रदान की गई राय से भिन्न होने के लिए ठोस कारण होने चाहिए और ऐसा केवल तभी करना चाहिए जब उसे विश्वास हो कि एस. ई. बी. आई./एच. पी. ए. सी. द्वारा प्रदान किए गए कारण दुर्भावनापूर्ण या स्पष्ट रूप से हैं।

मनमाना;

एस. ए. टी. या न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धारा 24 ए के तहत कार्यवाही रद्द करने के लिए एक कार्यवाही को प्रतिबिंबित नहीं करती है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक शिकायत, जिससे प्रकाश गुप्ता बनाम।

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अभियुक्त को चेरी में दूसरा दंश देना। चक्रवृद्धि के पीछे का सिद्धांत, जैसा कि इसमें पहले उल्लेख किया गया है

फैसला यह है कि पीड़ित पक्ष को अभियुक्त द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है और वह विवाद को समाप्त करने के लिए सहमति देता है। चूँकि पीड़ित पक्ष एस. ए. टी. या न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं है।

और अधिकांश अपराध सार्वजनिक चरित्र के हैं, इसे अपनी भूमिका में सावधानी बरतनी चाहिए। उदाहरणों की व्यापकता में, इसे एस. ई. बी. आई. की राय पर भरोसा करना चाहिए कि क्या ऐसा है

पुनर्स्थापना की गई है; और

((iv) अंत में, एस. ए. टी. या न्यायालय को विचार करना चाहिए कि क्या

धारा 24 ए के तहत आवेदन जमा करने वाले पक्ष द्वारा किया गया अपराध निजी प्रकृति का है, या यह सार्वजनिक है।

चरित्र, जिसका गैर-अभियोजन बड़े पैमाने पर दूसरों को प्रभावित करेगा। इस प्रकार, बाद वाले को यौगिक नहीं किया जाना चाहिए, यहां तक कि यदि पुनर्भुगतान हुआ है।

जी तथ्यों और निष्कर्ष पर विश्लेषण

93. वर्तमान मामले में, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि प्रकृति

अपीलार्थी के खिलाफ आरोप ऐसे हैं जो अपराधों को बढ़ाने के निर्णय को रोकते हैं। हमने काफी विस्तार से उन परिस्थितियों के बारे में बताया है जो एस. ई. बी. आई. द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में बताई गई हैं। हम उन प्रस्तुतियों में योग्यता पाते हैं जिनका अनुरोध अदालत के समक्ष वरिष्ठ वकील द्वारा किया गया है जो एस. ई. बी. आई. की ओर से पेश हुए हैं कि वर्तमान मामले में आरोपों में गंभीर कार्य शामिल हैं जो निवेशकों की सुरक्षा और प्रतिभूतियों के बाजार की स्थिरता को बाधित करते हैं। 22 सितंबर 2000 को एस. ई. बी. आई. के अध्यक्ष के निर्णय के आदेश में यह टिप्पणी कि प्रवर्तकों द्वारा 12 रुपये प्रति शेयर की दर से शेयर खरीदने के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के परिणामस्वरूप निवेशकों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, कथित गलत काम करने के तत्व को समाप्त नहीं करेगा। मूल्य में धांधली और शेयरों की कीमतों में हेरफेर के इस तरह के कथित कृत्यों का निवेशकों की संपत्ति और प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित कामकाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसलिए, एस. ई. बी. आई. का विरोध करना उचित था अपराधों के संयोजन के लिए अनुरोध। यह मामला एस. ई. बी. आई. द्वारा गठित एच. पी. ए. सी. को भेजा गया था और इसकी अध्यक्षता एक पूर्व न्यायाधीश ने की थी।

बॉम्बे उच्च न्यायालय, जिसने चक्रवृद्धि के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। एस. ई. बी. आई. द्वारा लिया गया यह निर्णय दुर्भावनापूर्ण नहीं है और न ही यह [2021] एस. सी. आर. है।

न्यायालय की पूर्व रिपोर्ट

नैनिफेस्ट मनमानेपन। इसके विपरीत, उचित सम्मान होना

आरोपों के बारे में, हमारा विचार है कि एक आदेश के लिए

जी वारंट नहीं किया गया था।

उपरोक्त कारणों से, हम उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हैं, हालांकि, उन कारणों के लिए जो इसमें इंगित किए गए हैं।

टी.

अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाएगा।

अभिवचन और हस्तक्षेप की अनुमति है। लंबित आवेदन, निकाल दिया।

अपील का निपटारा किया गया।